''नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएं (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना CM-VNY)''

योजना दिशा-निर्देश

नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

2025-26

विषय सूची

1. पृष्ठभूमि 6
2. सन्दर्भ 7
3. संकल्पना, उद्देश्य एवं अभिगम 9
4. विस्तार, अवधि और आच्छादन 11
5. योजनान्तर्गत परियोजनाएं 12
6. पात्रता हेतु मानदंड 13
7. वित्तपोषण का तरीका 21
8. मूल्यांकन प्रक्रिया और समय-सीमा 28
9. कार्यान्वयन संरचना एवं कार्य-प्रणाली 30
10. परिणाम 40
11. संलग्नक-1 41
12. संलग्नक-2 47
13. संलग्नक-3 48
14. संलग्नक-4 50
15. संलग्नक-5 54
16. संलग्नक-6 56

संक्षेपाक्षर

A&OE	Administration and Other Expenses
ACC	Autoclaved Aerated Concrete
ACS	Additional Chief Secretary
AI	Artificial intelligence
ASI	Archaeological Survey of India
BMPTC	Building Materials And Technology Promotion Council
BOO	Build-Own-Operate
BOT	Build-Operate-Transfer
C&DS	Construction and Design Services
CAPEX	Capital Expenditure
CFC	Central Finance Commission
COTS	Commercial Of the Shelf
CPWD	Central Public Works Department
CSR	Corporate Social Responsibility
DBFOT	Design-Build-Finance-Operate-and-Transfer Basis
DBT	Direct Benefit Transfer
DHQ	District Headquarter
DLB	Directorate of Local Bodies
DM	District Magistrate
DPR	Detailed Project Report
ECBC	Energy Conservation Building Code
EPC	Engineering Procurement and Construction.
FAR	Floor Area Ratio
FY	Financial Year
GO	Government Order
GPS	Global Positioning System
GRIHA	Green Rating for Integrated Habitat Assessment
IEC	Information Education and Communication
IGBC	Indian Green Building Council
IOT	Internet of Things
LEED	Leadership in Energy and Environmental Design
LOA	Letter of Offer and Acceptance
MC	Municipal Corporation
ML	Machine Learning
MLALAD	Member of Legislative Assembly Local Area Development Scheme
MLCP	Multilevel Car Parking
MPLAD	Members of Parliament Local Area Development Scheme
NIC	National Informatics Centre
NN	Nagar Nigam
NPP	Nagar Palika Parishad
NP	Nagar Panchayat

O&M	Operations and Maintenance
OMDA	Operation Maintenance and Development Agreement
PMC	Project Management Consultancy
PMU	Project Management Unit
PS	Principal Secretary
PTZ	Pan-Tilt-Zoom
PWD	Public Works Department
SE	Superintending Engineer
SFC	State Finance Commission
SUDM	State Urban Digital Mission
SUIC	State Urban Infrastructure Committee
TPQMA	Third Party Quality Monitoring Agencies
TTZ	Taj Trapezium Zone
UDD	Urban Development Department
UIDF	Urban Infrastructure Development Fund
URDPFI	Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation
VGF	Viability Gap Funding
WO	Work Order

1. पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश ने सन् 2027 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। राज्य के आर्थिक विकास और परिवर्तन को सुगम करने के लिए, नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे शहरों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने में सुविधा होगी।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 19.95 करोड़ जनसंख्या के साथ उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जिसमें से 15.51 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में और 4.45 करोड़ जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहती है। इस प्रकार, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 16.50% तथा कुल नगरीय जनसंख्या का लगभग 11.8% उत्तर प्रदेश में निवास करती है। 2001-2011 के दशक के दौरान नगरीय जनसंख्या की वृद्धि 1991-2001 के दौरान 31.80% के मुकाबले 28.75% रही है। सन् 2024 तक राज्य की नगरीय जनसंख्या 5.83 करोड़ होने का अनुमान है, जिसका तात्पर्य है कि 2001-2011 के दौरान 1.09 करोड़ के मुकाबले 1.38 करोड़ की वृद्धि होगी

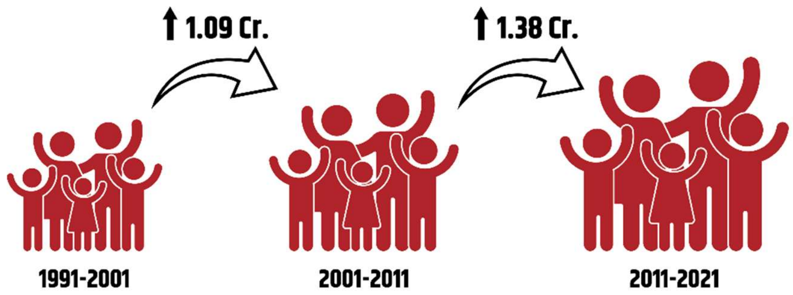

चित्र-01

वर्ष 2019 से अब तक बढ़ती नगरीय जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए 112 नई नगर पंचायतें बनायी गयी हैं जबकि 124 नगर पंचायतों का सीमा विस्तार किया गया है। 04 नगर पालिका उच्चीकृत व 42 नगर पालिका परिषदों का सीमा विस्तार किया गया है। इसके साथ ही 03 नगर निगम का सृजन तथा 07 नगर निगम की सीमाओं का विस्तार किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 762 नगरीय निकाय हैं, जिनमें से 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें हैं, तथापि राज्य भर में जनसंख्या और भूमि क्षेत्र का वितरण एक समान नहीं है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगर निगमों के पास कुल नगरीय भूमि का 24% भाग उपलब्ध है, जिस पर 43% जनसंख्या निवास करती है। राज्य में शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति से स्पष्ट है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या का लगभग 60% शामिल है।

उत्तर प्रदेश में शहरों की आर्थिक सम्भाव्य साधन को बढ़ाने के साथ-साथ, नगरीय अवसंरचना को बढ़ाने की ठोस जरूरत है जो सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा दे, बड़े पैमाने पर नागरिकों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करे, उन्हें कार्य करने, खेलने और मिलने का अवसर प्रदान करें और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जो समाज के कमजोर वर्गों जैसे विशेष रूप से सक्षम लोगों, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए लक्षित है। शहरी बुनियादी ढांचे में विकास से शहरी स्थानीय निकायों के लिए राजस्व के स्रोत बढ़ेंगे और बड़े पैमाने पर नागरिकों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

2. सन्दर्भ

सामाजिक-आर्थिक और उपयोगी अवसंरचना नागरिकों के जीवन की समग्र गुणवत्ता के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं और ऐसा मानदण्ड (बेंचमार्क) बनाते हैं, जिसके आधार पर सेवा वितरण को मापा जाता है। एक ओर वे नगरीय स्थानीय निकाय के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करते हैं जबकि दूसरी ओर वे बड़े पैमाने पर नागरिकों के लिए सार्वजनिक और अर्द्ध-सार्वजनिक स्थानों के रूप में कार्य करते हैं। अग्रतर ऐसी संरचना शहर की पहचान का एक महत्वपूर्ण संकेतक भी बनता है। योजनान्तर्गत विकसित की जाने वाली परियोजनाओं द्वारा निम्नलिखित संवर्द्धन किये गये हैं :-

(1) **आर्थिक शक्ति(Economic Vitality):** अच्छी तरह से डिजाइन किया गया सार्वजनिक स्थान और अर्द्ध-सार्वजनिक स्थान पर्यटकों और आगंतुकों को आकर्षित कर दुकानों, रेस्तरां और सांस्कृतिक आकर्षणों में उनके द्वारा अधिक व्यय करने के कारण स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सकता है। उक्त के अतिरिक्त, व्यवसायिक सार्वजनिक स्थान संपत्ति के मूल्यों को बढ़ा सकते हैं और कारबारों को आकर्षित कर सकते हैं, जिससे नगरीय स्थानीय निकाय के लिए आर्थिक शक्ति और राजस्व संसाधनों में योगदान हो सकता है।

(2) **नगरीय कनेक्टिविटी और गतिशीलता (Urban Connectivity and Mobility):** सार्वजनिक क्षेत्र जैसे-ट्रान्जिट हब, पैदल पथ और मिश्रित उपयोग वाले विकास नगरीय कनेक्टिविटी और गतिशीलता में योगदान करते हैं। ऐसे क्षेत्र पैदल यात्रियों के आवागमन को सुगम बनाते हैं, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देते हैं और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करते हैं, जिससे शहर की समग्र गतिशीलता में सुधार होता है।

(3) **पहुँच और समावेशिता(Accessibility and Inclusivity):** सार्वजनिक क्षेत्र समस्त निवासियों के लिए उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिये बिना सुलभ होते हैं, जो विविध पृष्ठभूमि और क्षमता वाले लोगों के लिए समावेशी स्थान उपलब्ध कराते हैं। सर्वसाधारण की पहुँच को ध्यान में रखकर इन स्थानों को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि सभी व्यक्ति इनका आनंद ले सकें और लाभ उठा सकें।

(4) **सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का परिरक्षण (Cultural and Historical Preservation):** सार्वजनिक क्षेत्रों में स्थल चिह्न, स्मारक और विरासत स्थल सम्मिलित होते हैं, जो शहर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को बनाये रखते हैं। ऐसे स्थान न केवल शहरों की विरासत को संजोये रखते हैं, बल्कि स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को इसके इतिहास के बारे में शिक्षित भी करते हैं, जिससे गौरव की भावना और अतीत से जुड़ाव को बढ़ावा मिलता है।

(5) **सामुदायिक सम्पर्क और सामाजिक एकता (Community Interaction and Social Cohesion):** सार्वजनिक स्थल जैसे-पार्क, प्लाज़ा चौक इत्यादि नागरिकों के लिए मिलन स्थल के रूप में काम करते हैं, सामुदायिक सम्पर्क और सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं। ऐसे स्थान लोगों को आमोद-प्रमोद सम्बन्धी क्रिया-कलापों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने अथवा एक-दूसरे से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं।

(6) **स्वास्थ्य और कल्याण (Health and Well-being):** सुगम हरित क्षेत्र और मनोरंजन क्षेत्र नागरिकों के शारीरिक और मानसिक कल्याण में योगदान करते हैं। पार्क और खेल के मैदान स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देते हुए व्यायाम, विश्राम और तनाव से राहत के अवसर प्रदान करते हैं।

(7) **आपदा सामर्थ्य (Disaster Resilience) :** सार्वजनिक स्थान प्राकृतिक आपदाओं या अन्य आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान आपातकालीन आश्रयों या निकासी स्थल के रूप में काम कर सकते हैं। महायोजना (मास्टर प्लान) में इन स्थानों को सम्मिलित करने से शहर की सामर्थ्य और संकटों से निपटने की तैयारी सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

(8) **पर्यावरणीय संवर्द्धन (Environmental Sustainability):** सार्वजनिक क्षेत्र बहुधा हरित क्षेत्र व नगरीय वन शामिल होते हैं, जो नगरीय तापमान कम करने, वायु गुणवत्ता में सुधार करने और नगरीय वन्य जीवों के लिए आश्रय प्रदान करने में मदद करते हैं। ऐसे स्थान कार्बन उत्सर्जन को कम करके और जैव विविधता को बढ़ाकर नगर की समग्र पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करते हैं।

संक्षेप में, सार्वजनिक और अर्द्ध-सार्वजनिक अवसंरचना सामुदायिक कल्याण, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक संवर्धन को बढ़ावा देकर शहरों की जीवंतता, स्थिरता और सामर्थ्यता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

3. संकल्पना, उद्देश्य एवं अभिगम

3.1 संकल्पना (Vision)

उत्तर प्रदेश के सभी नगरीय स्थानीय निकायों में समरूप (homogenous) सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को प्रतिस्पर्द्धात्मक अभिगम (Competitive Approach) के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए इस योजना का उद्देश्य सभी नगरीय नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, रहने की क्षमता में वृद्धि करना, बढ़े हुए नगरपालिका राजस्व के लिए रास्ते बनाना और शहरों के योगदान में तेजी लाना है। एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के साथ-साथ महत्वाकांक्षी नगरीय आबादी की भविष्य की जरूरतों के लिए शहरों को तैयार करना।

सीएम-वीएनवाई का लक्ष्य उद्देश्य और अभियान के अभिगम ("मिशन टू मूवमेंट") के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी नगरीय स्थानीय निकायों में केंद्र और राज्य योजना के तहत बनाए गए सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है।

3.2 लक्ष्य एवं उद्देश्य (Aim and Objectives)

1. उत्तर प्रदेश के सभी नगरीय स्थानीय निकायों में समरूप एवं समान सार्वजनिक और अर्द्ध सार्वजनिक बुनियादी सुविधायें सुनिश्चित करना है।
2. शहरों के लिए स्थापित सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को समग्र रूप से प्राप्त करना है।
3. नगरीय स्थानीय निकायों के राजस्व संग्रहण में वृद्धि करने के लिए नये अवसर सृजित करने हेतु नगरीय निकायों को प्रोत्साहित करना, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
4. नगरीय स्थानीय निकायों में पी0पी0पी0/सी0एस0आर0 के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहित करना है।
5. समस्त नगरीय स्थानीय निकायों (ULBs) के लिए राज्य स्तर पर परिसंपत्तियों की सूची बनाना है।
6. 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य के समस्त शहरों में रहने की क्षमता और आर्थिक अवसरों को बढ़ाना है।
7. नगरीय नागरिकों की भावी पीढ़ी के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए शहरों को तैयार करना है।

3.3 अभिगम (Approach)

मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना (CM-VNY) राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में आर्थिक विकास, समानता और पर्यावरण को बढ़ाने के लिए लिए 3 E अभिगम अपनाती है।

- **आर्थिक वृद्धि (Economic Growth)**- योजना का लक्ष्य राज्य के सभी नगरीय स्थानीय निकायों में सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक अवसंरचना के विकास के लिए विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं, राज्य प्रायोजित योजनाओं, व्यवहार्यता अंतर निधि (Viability Gap Funding), सार्वजनिक निजी भागीदारी, विकास एजेंसियों के माध्यम से किए जा रहे प्रयासों को एकजुट करना है।
- **समानता (Equity)**- योजना का लक्ष्य राज्य में एक ही श्रेणी की समस्त नगरीय स्थानीय निकायों में सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक अवसंरचना की उपलब्धता के लिये एक मानदण्ड (बेंचमार्क) बनाना है।
- **पर्यावरण (Environmental)**- सीएम-वीएनवाई का लक्ष्य शहरी क्षेत्र में हरति क्षेत्र (Green Space), शहरी वन (City Forest), वृक्षारोपण (आर्बोरिकल्चर), जलाशयों (वेटलैंड्स) आदि को विकसित करना है, जो जलवायु परिवर्तन अनुकूलन व शमन और कार्बन पृथक्करण में मदद करेगा।

चित्र: 02

इकोनामिक ग्रोथ
• विविध योजनाओं में संवर्धित अभिसरण
• नगरीय स्थानीय निकायों के राजस्व में वृद्धि
इक्विटी
• समरूप अवसंरचना
• सभी नगरीय स्थानीय निकायों में सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक अवसंरचना तक पहुंच में वृद्धि
इन्वायर्न्मेंट
• जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन
• कार्बन पृथक्कीकरण
• संसाधन दक्षता में सुधार

4. विस्तार, अवधि और आच्छादन

4.1 विस्तार

इस योजना के अन्तर्गत नवीन परियोजनाओं पर विचार किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत नए भवन ब्लॉकों का निर्माण करके विद्यमान परिसर/संकुलों के महत्व को बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। केवल विशेष परिस्थिति और राज्य नगरीय अवसंरचना समिति के अनुमोदन पर विद्यमान परिसर के विस्तार पर विचार किया जाएगा।

4.2 अवधि

यह योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 से पांच वर्षों के लिए कार्यान्वित की जाएगी।

4.3 आच्छादन

योजना से उत्तर प्रदेश के समस्त नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतें आच्छादित होंगी।

5. योजनान्तर्गत परियोजनाएं

1. सीएम-वीएनवाई के अन्तर्गत निम्नलिखित श्रेणी के तहत परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा:
2. नीचे दी गई सूची के अतिरिक्त नगर विकास विभाग राज्य नगरीय अवसंरचना समिति (SUIC- State Urban Infrastructure Committee) के अनुमोदन के आधार पर कोई विशिष्ट परियोजना शुरू कर सकता है।

A - प्रशासनिक

1. कार्यालय भवन
2. को-वर्किंग स्पेस
3. स्मार्ट रिकार्ड रूम (दस्तावेज़ का संग्रहण और रिकार्ड का डिजिटाईज़ेशन)
4. सेफ सिटी के अंतर्गत निकायों में सी0सी0 टी0वी0 कैमरों एवं नियंत्रण कक्ष की स्थापना

B-आर्थिक

5. वर्किंग वूमेन हास्टल
6. फूड स्ट्रीट हब /रात्रि/ साप्ताहिक बाजार
7. कियॉस्क
8. मैकेनाईज्ड एवं अन्य प्रकार की स्मार्ट पार्किंग
9. नगर पालिका सेवाओं और शिकायत निवारण के लिये नागरिक सुविधा केन्द्र (CFC)/मिनी CFC (आनलाईन काउंटर के साथ, वनडे गर्वनेंस, मोबाइल वैन)
10. वैश्विक नगर बाजार (एक समान मॉडल पर)

C-सामाजिक

11. अनुभव केन्द्र (नगरीय संग्रहालय/ प्रदर्शनी स्थल/वाणिज्यिक स्थल)
12. टाउन हॉल
13. बारात घर
14. सीनियर केयर सेन्टर
15. रिटायरमेन्ट होम
16. सभागार / आर्ट गैलरी एवं स्थान / प्रदर्शन कला केन्द्र
17. बहुउद्देशीय स्थल (एम्फीथिएटर/ कम्युनिटी सेन्टर)
18. कैफे / बुक कैफे
19. पेट क्लीनिक / पार्क / आश्रय
20. मेला/ सिटी ब्राण्डिंग
21. निराश्रित गृह
22. पुस्तकालय/डिजिटल पुस्तकालय/स्टडी सेन्टर
23. पीपीपी मॉडल पर पर्यटक स्थलों/ सार्वजनिक भवनों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शी लाउंज
24. प्रत्येक स्मार्ट पालिका (58) और नगर निगम में उत्सव ऑडिटोरियम
25. स्मार्ट पालिका में एनिमल क्रेमेटोरियम
26. स्थानीय निकाय के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों का कायाकल्प/ स्मार्ट क्लास
27. आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन निर्माण संबंधी कार्य

D-स्वास्थ्य

28. बहुउद्देश्यीय खेल सुविधाएं
29. ओपेन जिम
30. अर्बन प्लाजा
31. पुनर्वास / नैदानिक केन्द्र/कल्याण केन्द्र/ योगशाला
32. शिशु गृह (क्रेच)

E -पर्यावरण

33. शहरी वन
34. स्मृति/थीम /चिल्ड्रेन पार्क/ /मनोरंजन पार्क//वेस्ट टू वंडर पार्क
35. अर्बन वेट लैण्ड
36. सोलर पार्क
37. आर्बोरिकल्चर/नर्सरी/हॉर्टिकल्चर
38. नगर निगम में हर्बल गार्डन (एन0बी0आर0आई0, उद्यान विभाग जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से)

F - विरासत /संरचना

39. हेरिटेज स्ट्रीट एवं भवन संरक्षण
40. प्लेस मेकिंग/नगरीय कला सजावट/ स्ट्रीट फर्नीचर
41. फुट ओवर ब्रिज
42. घाट संरक्षण / कायाकल्प
43. सी.सी. रोड नाली सहित*
44. पुराने क्षेत्रों/विरासत शहरों में हैरिटेज स्ट्रीट
45. विरासत भवन संरक्षण-विशिष्ट/अधिसूचित स्मारक, जो नगर निकायों के अधिकार क्षेत्र में स्थित है
46. सरकारी विरासत भवनों पर फसाड लाइटिंग

6. पात्रता हेतु मानदंड

राज्य के समस्त नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतें इस योजना के लिए पात्र हैं। सीएम-वीएनवाई के प्रयोजन के लिए नगरीय स्थानीय निकायों को उनके प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र व संरचनात्मक और जनसंख्या के आधार पर तीन व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है: -

श्रेणी : 1	नगर निगम
श्रेणी : 2	नगर पालिका परिषद एवं जिला मुख्यालय (1 लाख से अधिक जनसंख्या)
श्रेणी : 3	नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतें और जिला मुख्यालय (1 लाख से कम जनसंख्या)

6.1 श्रेणी 1

राज्य के समस्त नगर निगम निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर योजना में आते हैं:-

1. परियोजना का अनुमोदन ''पहले आओ-पहले पाओ'' के आधार पर किया जायेगा।
2. एक वित्तीय वर्ष में, प्रति नगर निगम न्यूनतम आवंटन रू. 2.5 करोड़ रुपये होगा जबकि अधिकतम आवंटन रू. 50 करोड़ रुपये होगा।
3. स्व-राजस्व (कर एवं करेत्तर) संग्रह को वर्तमान वर्ष से ठीक पूर्व के दो वर्षों के बीच तुलनात्मक रूप से 25% तक बढ़ाया जाएगा।
4. बजट आवंटन प्रति नगरीय स्थानीय निकाय जनसंख्या (भारांक 90%) एवं क्षेत्रफल (भारांक 10%) के अनुपात में किया जायेगा।
5. विशेष परिस्थिति में निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रति नगरीय स्थानीय निकाय को अधिकतम रू. 100 करोड़ तक अतिरिक्त अनुदान दिया जा सकता है:-
   (1) पूर्व के दो वर्षों के बीच तुलनात्मक रूप से नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा 50% से अधिक (कर एवं करेत्तर) राजस्व वृद्धि।
   (2) नवोन्मेषी परियोजनाएँ
   (3) राजस्व उत्पादक परियोजनाएँ
   (4) राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएँ
6. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के अन्तर्गत निजी भागीदारों द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित परियोजनाओं को पहले लिया जाएगा और "प्राथमिकता पर" अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त, उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो सांसद निधि/ विधायक निधि और अन्य विभागों द्वारा अन्य योजनाओं के अभिसरण निधियों (Convergence Funds) का उपयोग करते हैं।
7. जिन क्षेत्रों में केंद्रीय या राज्य क्षेत्र की चालू योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, वहां सीएम-वीएनवाई के तहत प्रस्तावित परियोजनाओं का अभिसरण (Convergence) सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
8. नगरीय और क्षेत्रीय विकास योजना विनिर्माण और कार्यान्वयन (URDPFI) के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर नगरीय स्थानीय निकाय (ULB) अंतर मूल्यांकन (Gap assessment) करेगा और तदनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।
9. नगरीय स्थानीय निकाय संलग्नक-4 में दिए गए विवरण के अनुसार शहरी अवसंरचना अभिगम योजना (Vision Plan) तैयार करेगी।

10. अनुमोदन के लिए परियोजना प्रस्तुत करने से पहले, नगरीय स्थानीय निकाय एक वित्तीय व्यवहार्यता विश्लेषण और सामाजिक तथा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (जहां भी लागू हो) करेगा, जिसकी रिपोर्ट परियोजना के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
11. परियोजनाओं के निर्माण के लिए नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा भार मुक्त भूमि उपलब्ध करायी जाएगी।
12. रू. 5 करोड़ से ऊपर लागत की सभी वाणिज्यिक परियोजनाएं ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC), विद्युत मंत्रालय का पालन करेंगी।
13. दिशा-निर्देश के प्रस्तर-7.2 में वर्णित विस्तृत पीपीपी प्रथाओं (PPP) के आधार पर पीपीपी प्रणाली में प्रचालन और अनुरक्षण (O & M) के लिए प्रावधान किया जाएगा।
14. भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (BMTPC) और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) द्वारा सूचीबद्ध टिकाऊ निर्माण प्रौद्योगिकी को परिनियोजित करने वाली परियोजना को प्राथमिकता दी जाएगी।

श्रेणी 1 के अन्तर्गत समस्त नगरीय स्थानीय निकाय शहरी अवसंरचना विकास योजना में दी गई प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित परियोजनाओं में से चुनने के लिए पात्र हैं:

तालिका-01

स्ट्रीम-1	**स्ट्रीम-2**	**स्ट्रीम-3**
1. कार्यालय भवन 2. पुस्तकालय / डिजिटल पुस्तकालय एवं स्टडी सेन्टर 3. मैकेनाईज्ड एवं अन्य प्रकार की स्मार्ट पार्किंग 4. सीनियर केयर सेन्टर 5. वर्किंग वूमेन हास्टल 6. बहुउद्देशीय खेल सुविधाएं 7. रिटायरमेन्ट होम 8. बारात घर 9. फूड स्ट्रीट हब / रात्रि / साप्ताहिक बाजार 10. पेट क्लीनिक / पार्क / आश्रय 11. ओपेन जिम 12. बहुउद्देशीय स्थल (एम्फीथिएटर/ कम्युनिटी सेन्टर) 13. कियॉस्क 14. आर्बोरिकल्चर / नर्सरी / हॉर्टिकल्चर 15. स्मृति/थीम/चिल्ड्रेन पार्क/ मनोरंज पार्क/ वेस्ट टु वंडर पार्क 16. शहरी वन	1. को-वर्किंग स्पेस 2. टाउन हॉल 3. कैफे/ बुक कैफे 4. सभागार /आर्ट गैलरी एवं स्थान/ प्रदर्शन कला केन्द्र 5. अनुभव केन्द्र (नगरीय संग्रालय/प्रदर्शनी स्थल/ वाणिज्यिक स्थल) 6. मेला/सिटी ब्राण्डिंग 7. घाट संरक्षण/ कायाकल्प 8. आंगनबाड़ी केन्द्र 9. पुराने क्षेत्रों/विरासत शहरों में हैरिटेज स्ट्रीट 10. विरासत भवन संरक्षण-विशिष्ट/अधिसूचित स्मारक	1 शिशु गृह(क्रेच) 2 अर्बन प्लाजा 3 हेरिटेज स्ट्रीट एवं भवन संरक्षण 4 प्लेस मेकिंग/नगरीय कला सजावट/स्ट्रीट फर्नीचर 5 फुट ओवर ब्रिज 6 पुनर्वास / नैदानिक केन्द्र/ कल्याण केन्द्र/ योगशाला 7 अर्बन वेट लैण्ड 8 निराश्रित गृह 9 हर्बल गार्डन 10 सरकारी विरासत भवनों पर फसाड लाइटिंग

स्ट्रीम-1	स्ट्रीम-2	स्ट्रीम-3
17. सोलर पार्क 18. सी.सी. रोड नाली सहित* 19. स्मार्ट क्लास 20. स्मार्ट रिकार्ड रूम 21. पीपीपी मॉडल पर पर्यटक स्थलों/ सार्वजनिक भवनों में शी लाउंज 22. उत्सव ऑडिटोरियम		

टिप्पणी-

- नगरीय स्थानीय निकाय अपनी आवश्यकता और सीएम-वीएनवाई के अन्तर्गत गठित राज्य नगरीय अवसंरचना समिति द्वारा अनुमोदन के अनुसार उपरोक्त सूची के अतिरिक्त कोई अन्य विशिष्ट परियोजना प्रस्तावित कर सकते हैं।

- *सीएम-वीएनवाई परियोजना के अन्तर्गत "सीसी रोड नाली सहित" श्रेणी का चयन नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी शर्त पर किया जा सकता है:-

  - योजना के अन्तर्गत प्रति नगरीय स्थानीय निकाय को स्वीकृत धनराशि का अधिकतम 10 प्रतिशत।
    अथवा
  - पिछले वित्तीय वर्ष से राजस्व संग्रह में अनुपातिक 10 प्रतिशत की वृद्धि (योग्यता मानदण्ड से ऊपर)।
  - उपरोक्त में से न्यूनतम धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

6.2 श्रेणी 2

इस श्रेणी में 1 लाख से अधिक जनंसख्या वाली नगर पालिका परिषद और जिला मुख्यालय (2011 की जनगणना के अनुसार) निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर योजना में आते हैं:-

1. परियोजना का अनुमोदन "पहले आओ-पहले पाओ" के आधार पर किया जायेगा।
2. एक वित्तीय वर्ष में श्रेणी 2 के लिए प्रति नगरीय स्थानीय निकाय न्यूनतम आवंटन रू. 25 लाख रुपये होगा जबकि अधिकतम आवंटन रू. 20 करोड़ रुपये होगा।
3. स्व-राजस्व (कर एवं करेत्तर) संग्रह को वर्तमान वर्ष से पूर्व के ठीक दो वर्षों के बीच तुलनात्मक रूप से 15% तक बढ़ाया जाएगा।
4. बजट आवंटन प्रति नगरीय स्थानीय निकाय जनसंख्या (भारांक 90%) एवं क्षेत्रफल (भारांक 10%) के अनुपात में किया जायेगा।
5. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रणाली के अन्तर्गत निजी भागीदारों द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित परियोजनाओं को पहले लिया जाएगा और "प्राथमिकता पर" अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त, उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो सांसद निधि/ विधायक निधि और अन्य विभागों द्वारा अन्य योजनाओं के अभिसरण निधियों (Convergence Funds) का उपयोग करते हैं।
6. जिन क्षेत्रों में केंद्रीय या राज्य क्षेत्र की चालू योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, वहां सीएम-वीएनवाई के तहत प्रस्तावित परियोजनाओं का अभिसरण (Convergence) सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

7. नगरीय और क्षेत्रीय विकास योजना विनिर्माण और कार्यान्वयन (URDPFI) के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर नगरीय स्थानीय निकाय (ULB) अंतर मूल्यांकन (Gap assessment) करेगा और तदनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।
8. नगरीय स्थानीय निकाय संलग्नक-4 में दिए गए विवरण के अनुसार शहरी अवसंरचना अभिगम योजना (Vision Plan) तैयार करेगी।
9. अनुमोदन के लिए परियोजना प्रस्तुत करने से पहले, नगरीय स्थानीय निकाय एक वित्तीय व्यवहार्यता विश्लेषण और सामाजिक तथा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (जहां भी लागू हो) करेंगे, जिसकी रिपोर्ट परियोजना के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
10. परियोजनाओं के निर्माण के लिए नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा भार मुक्त भूमि उपलब्ध करायी जाएगी।
11. रू. 5 करोड़ से ऊपर लागत की सभी वाणिज्यिक परियोजनाएं ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC), विद्युत मंत्रालय का पालन करेंगी।
12. दिशा-निर्देश के प्रस्तर-7.2 में वर्णित विस्तृत पीपीपी प्रथाओं (PPP) के आधार पर पीपीपी प्रणाली में प्रचालन और अनुरक्षण (O & M) के लिए प्रावधान किया जाएगा।
13. भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (BMTPC) और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) द्वारा सूचीबद्ध टिकाऊ निर्माण प्रौद्योगिकी को परिनियोजित करने वाली परियोजना को प्राथमिकता दी जाएगी।

श्रेणी 2 के अन्तर्गत समस्त नगरीय स्थानीय निकाय शहरी अवसंरचना विकास योजना में दी गई प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित परियोजनाओं में से चुनने के लिए पात्र हैं:

तालिका-02

स्ट्रीम-1	स्ट्रीम-2	स्ट्रीम-3
1. कार्यालय भवन 2. पुस्तकालय /डिजिटल पुस्तकालय/स्टडी केन्द्र 3. बारात घर 4. बहुउद्देशीय खेल सुविधाएं 5. फूड स्ट्रीट हब/ रात्रि / साप्ताहिक बाजार 6. पेट क्लिनिक / पार्क/आश्रय 7. बहुउद्देशीय स्थल (एम्फीथिएटर/कम्युनिटी सेन्टर) 8. कियॉस्क 9. आर्बोरिकल्चर / नर्सरी/ हॉर्टिकल्चर 10. स्मृति/थीम/चिल्ड्रेन पार्क/मनोरंजन पार्क/ वेस्ट टु वंडर पार्क 11. सोलर पार्क 12. सी.सी. रोड नाली सहित* 13. स्मार्ट क्लास 14. स्मार्ट रिकार्ड रूम 15. सी0सी0 टी0वी0 कैमरों एवं नियंत्रण कक्ष की स्थापना 16. नागरिक सुविधा केन्द्र (CFC)/मिनी CFC (आनलाईन काउंटर के साथ, वनडे गर्वनेंस, मोबाइल वैन) 17. वैश्विक नगर बाजार 18. उत्सव ऑडिटोरियम	1. टाउन हाल 2. कैफे/ बुक कैफे 3. अनुभव केन्द्र (नगरीय संग्रहालय/प्रदर्शनी स्थल/वाणिज्यिक स्थल) 4. मेला/सिटी ब्राण्डिंग 5. घाट संरक्षण/कायाकल्प 6. आंगनबाड़ी केन्द्र 7. एनिमल क्रेमेटोरियम 8. पुराने क्षेत्रों/विरासत शहरों में हैरिटेज स्ट्रीट 9. विरासत भवन संरक्षण-विशिष्ट/अधिसूचित स्मारक 10. सरकारी विरासत भवनों पर फसाड लाइटिंग	1. हेरिटेज स्ट्रीट एवं भवन संरक्षण 2. स्थान निर्धारण/नगरीय कला सजावट/स्ट्रीट फर्नीचर 3. फुट ओवर ब्रिज 4. पुनर्वास / नैदानिक केन्द्र/ कल्याण केन्द्र/ योगशाला 5. शहरी वन 6. निराश्रित गृह 7. अर्बन वेट लैण्ड

टिप्पणी-

- नगरीय स्थानीय निकाय अपनी आवश्यकता और सीएम-वीएनवाई के अन्तर्गत गठित राज्य नगरीय अवसंरचना समिति द्वारा अनुमोदन के अनुसार उपरोक्त सूची के अतिरिक्त कोई अन्य विशिष्ट परियोजना प्रस्तावित कर सकते हैं।

- *सीएम-वीएनवाई परियोजना के अन्तर्गत ''सीसी रोड नाली सहित'' श्रेणी का चयन नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी शर्त पर किया जा सकता है:-
  - ➢ योजना के अन्तर्गत प्रति नगरीय स्थानीय निकाय को स्वीकृत धनराशि का अधिकतम 10 प्रतिशत।
    अथवा
  - ➢ पिछले वित्तीय वर्ष से राजस्व संग्रह में अनुपातिक 10 प्रतिशत की वृद्धि (योग्यता मानदण्ड से ऊपर)।
  - ➢ उपरोक्त में से न्यूनतम धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

6.3 श्रेणी 3

इस श्रेणी में 1 लाख से कम जनंसख्या वाली नगर पालिका परिषद और समस्त नगर पंचायतें एवं जिला मुख्यालय (2011 की जनगणना के अनुसार) निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर योजना में आते हैं:-

1. परियोजना का अनुमोदन ''पहले आओ-पहले पाओ'' के आधार पर किया जायेगा।
2. एक वित्तीय वर्ष में श्रेणी 3 के लिए प्रति नगरीय स्थानीय निकाय न्यूनतम आवंटन रू. 10 लाख रुपये होगा जबकि अधिकतम आवंटन रू. 05 करोड़ रुपये होगा।
3. स्व-राजस्व (कर एवं करेत्तर) संग्रह को पूर्ववर्ती वर्ष (आधार वर्ष 2022-23) की तुलना में 10 % तक बढ़ाया जाएगा।
4. बजट आवंटन प्रति नगरीय स्थानीय निकाय जनसंख्या (भारांक 90%) एवं क्षेत्रफल (भारांक 10%) के अनुपात में किया जायेगा।
5. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रणाली के अन्तर्गत निजी भागीदारों द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित परियोजनाओं को पहले लिया जाएगा और "प्राथमिकता पर" अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त, उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो सांसद निधि/ विधायक निधि और अन्य विभागों द्वारा अन्य योजनाओं के अभिसरण निधियों (Convergence Funds) का उपयोग करते हैं।
6. जिन क्षेत्रों में केंद्रीय या राज्य क्षेत्र की चालू योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, वहां सीएम-वीएनवाई के तहत प्रस्तावित परियोजनाओं का अभिसरण (Convergence) सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
7. नगरीय और क्षेत्रीय विकास योजना विनिर्माण और कार्यान्वयन (URDPFI) के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर नगरीय स्थानीय निकाय (ULB) अंतर मूल्यांकन (Gap assessment) करेगा और तदनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।
8. नगरीय स्थानीय निकाय संलग्नक-4 में दिए गए विवरण के अनुसार शहरी अवसंरचना अभिगम योजना (Vision Plan) तैयार करेगी।
9. अनुमोदन के लिए परियोजना प्रस्तुत करने से पहले, नगरीय स्थानीय निकाय एक वित्तीय व्यवहार्यता विश्लेषण और सामाजिक तथा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (जहां भी लागू हो) करेंगे, जिसकी रिपोर्ट परियोजना के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
10. परियोजनाओं के निर्माण के लिए नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा भार मुक्त भूमि उपलब्ध करायी जाएगी।
11. रू. 5 करोड़ से ऊपर लागत की सभी वाणिज्यिक परियोजनाएं ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC), विद्युत मंत्रालय का पालन करेंगी।

12. दिशा-निर्देश के प्रस्तर-7.2 में वर्णित विस्तृत पीपीपी प्रथाओं (PPP) के आधार पर पीपीपी प्रणाली में प्रचालन और अनुरक्षण (O & M) के लिए प्रावधान किया जाएगा।
13. भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (BMTPC) और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) द्वारा सूचीबद्ध टिकाऊ निर्माण प्रौद्योगिकी को परिनियोजित करने वाली परियोजना को प्राथमिकता दी जाएगी।

श्रेणी 3 के अन्तर्गत समस्त नगरीय स्थानीय निकाय शहरी अवसंरचना विकास योजना में दी गई प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित परियोजनाओं में से चुनने के लिए पात्र हैं:

तालिका-03

स्ट्रीम-1	स्ट्रीम-2	स्ट्रीम-3
1. कार्यालय भवन 2. पुस्तकालय /डिजिटल पुस्तकालय/स्टडी केन्द्र 3. बारात घर 4. बहुउद्देशीय खेल सुविधाएं 5. बहुउद्देशीय स्थल (एम्फीथिएटर/ कम्युनिटी सेन्टर) 6. सोलर पार्क 7. सी.सी. रोड नाली सहित* 8. स्मार्ट क्लास 9. सी0सी0 टी0वी0 कैमरों एवं नियंत्रण कक्ष की स्थापना 10. नागरिक सुविधा केन्द्र (CFC)/मिनी CFC (आनलाईन काउंटर के साथ, वनडे गर्वनेंस, मोबाइल वैन) 11. वैश्विक नगर बाजार	1. फूड स्ट्रीट हब / रात्रि/साप्ताहिक बाजार 2. पेट क्लीनिक/ पार्क / आश्रय 3. घाट संरक्षण/ कायाकल्प 4. आंगनबाड़ी केन्द्र 5. पुराने क्षेत्रों/विरासत शहरों में हैरिटेज स्ट्रीट 6. विरासत भवन संरक्षण-विशिष्ट/अधिसूचित स्मारक 7. सरकारी विरासत भवनों पर फसाड लाइटिंग	1. अर्बन वेट लैण्ड 2. पुनर्वास / नैदानिक केन्द्र/ कल्याण केन्द्र/ योगशाला

टिप्पणी-

- नगरीय स्थानीय निकाय अपनी आवश्यकता और सीएम-वीएनवाई के अन्तर्गत गठित राज्य नगरीय अवसंरचना समिति द्वारा अनुमोदन के अनुसार उपरोक्त सूची के अतिरिक्त कोई अन्य विशिष्ट परियोजना प्रस्तावित कर सकते हैं।
- *सीएम-वीएनवाई परियोजना के अन्तर्गत "सीसी रोड नाली सहित" श्रेणी का चयन नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी शर्त पर किया जा सकता है:-
  - ➢ योजना के अन्तर्गत प्रति नगरीय स्थानीय निकाय को स्वीकृत धनराशि का अधिकतम 10 प्रतिशत।
    अथवा
  - ➢ पिछले वित्तीय वर्ष से राजस्व संग्रह में अनुपातिक 10 प्रतिशत की वृद्धि (योग्यता मानदण्ड से ऊपर)।
  - ➢ उपरोक्त में से न्यूनतम धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

6.4 प्रतिस्पर्धा मानदण्ड

योजना के अन्तर्गत नगरीय स्थानीय निकाय के लिए श्रेणी-1, 2 व 3 में परियोजनाओं के चयन के मानदंड निम्नवत् होंगे:-

1. राजस्व के आधार पर पात्रता का मापदण्ड

तालिका-04

मानदंड	नगर निगम	नगर पालिका परिषद एवं जिला मुख्यालय: जनसंख्या 1 लाख से अधिक	नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत एवं जिला मुख्यालय: जनसंख्या1 लाख से कम
राजस्व वृद्धि (न्यूनतम) (कर एवं करेत्तर)	25%	15%	10%

2. उपरोक्त पात्र निकायों के मध्य जनसंख्या (भारांक 90 %) एवं क्षेत्रफल (भारांक 10%) के आधार पर बजट आवंटन का मानदण्ड

तालिका-05

मानदंड	नगर निगम	नगर पालिका परिषद एवं जिला मुख्यालय: जनसंख्या 1 लाख से अधिक	नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत एवं जिला मुख्यालय: जनसंख्या1 लाख से कम
न्यूनतम निधि- प्रति नगरीय स्थानीय निकाय (रूपये में)	250 लाख	25 लाख	10 लाख
बजट आवंटन-प्रति नगरीय स्थानीय निकाय	जनसंख्या (भारांक 90%) एवं क्षेत्रफल (भारांक 10%) के अनुपात में	जनसंख्या (भारांक 90%) एवं क्षेत्रफल (भारांक 10%) के अनुपात में	जनसंख्या (भारांक 90%) एवं क्षेत्रफल (भारांक 10%) के अनुपात में
अधिकतम निधि- प्रति नगरीय स्थानीय निकाय (रूपये में)	50 करोड़	20 करोड़	5 करोड़

3. विशेष परिस्थितियों के मानदण्ड

तालिका-06

विशेष परिस्थिति में प्रति नगर निगम को अधिकतम (रू0 100 करोड़) निधि (फण्ड) जारी किया जा सकता है	• राजस्व वृद्धि 50% से अधिक • नवोन्मेषी परियोजनाएँ • राजस्व उत्पादक परियोजनाएँ • राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं
निधि स्रोत- (न्यूनतम 10 %) (वैकल्पिक)	सीएफसी/एसएफसी/सांसद निधि/विधायक निधि/सीएसआर/यू0आई0डी0एफ/म्युनिसिपल बांड/कोई अन्य स्रोत इत्यादि

अन्य विभाग के माध्यम से निधि अभिसरण	परियोजना को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी
हाइब्रिड प्रौद्योगिकी	MoUHA के अन्तर्गत CPWD और BMTPC द्वारा सूचीबद्ध नई तकनीक और सामग्री का उपयोग करने वाली परियोजना को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
ऊजा संरक्षण भवन संहिता का अनुपालन	रू. 5 करोड़ से ऊपर लागत की सभी वाणिज्यिक परियोजनाएं ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC), विद्युत मंत्रालय का पालन करेंगी।

7. वित्तपोषण का तरीका

7.1 बजट आवंटन

यह योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 से आरम्भ होकर पांच वर्षों में कार्यान्वित की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना के लिए रु. 1000 करोड़ की धनराशि की विभागीय मांग के सापेक्ष रू. 500 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की गयी थी। जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में रु. 600 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की गई है।

नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य आवंटित धनराशि का वितरण नगरीय क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के अनुपात में होगा। योजना के अन्तर्गत प्रत्येक परियोजना के लिए वित्तपोषण की सीमा नगरीय स्थानीय निकाय की श्रेणी पर तय की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त नगरीय स्थानीय निकाय अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं अथवा वैकल्पिक वित्तपोषण स्रोत की खोज कर सकते हैं।

योजना के लिये निधि (Fund) यूआईडीएफ/वित्तीय मध्यस्थों और बाहरी स्रोतों/सहायता/बहुपक्षीय अभिकरणों (एजेन्सी)/म्युनिसिपल बॉण्ड/सी.एस.आर. के अतिरिक्त अन्य से भी प्राप्त किया जा सकता है। योजनान्तर्गत आवर्ती व्यय वाली परियोजनाएं स्वीकृत नहीं की जायेंगी। उपलब्ध बजट व्यवस्था के सापेक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति हेतु निम्नलिखित आवंटन संरचना विनिश्चत की गई है:-

(क) **श्रेणी 1- समस्त नगर निगम :** कुल बजट आवंटन का 40 प्रतिशत श्रेणी 1 के लिए आरक्षित किया गया है।

(ख) **श्रेणी 2- नगर पालिका परिषद एवं जिला मुख्यालय: जनसंख्या 1 लाख से अधिक:** कुल बजटीय आवंटन का 40 प्रतिशत श्रेणी 2 के लिए आरक्षित किया गया है।

(ग) **श्रेणी 3- नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत एवं जिला मुख्यालय: जनसंख्या1 लाख से कम:** कुल बजटीय आवंटन का 20 प्रतिशत श्रेणी 3 के लिए आरक्षित किया गया है।

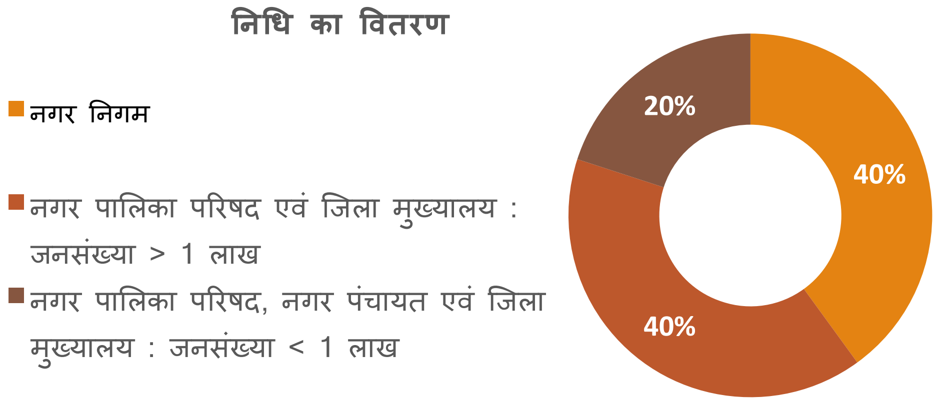

चित्र-04

(घ) बजट आवंटन प्रति नगरीय स्थानीय निकाय जनसंख्या (भारांक 90%) एवं क्षेत्रफल (भारांक 10%) के अनुपात में किया जायेगा।

(ड.) नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के लिए अनुमोदित बजट आवंटन की धनराशि में मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

7.2 परियोजना कार्यान्वयन मैट्रिक्स (Project Implementation Matrix)

योजना के अधीन पीपीपी परियोजनाओं के लिए सलाहकार और विकासकर्ता (डेवलपर्स) के चयन के लिए अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, 2016, यथा संशोधित, 2018 पीपीपी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाएगा।

व्यवहार्यता अध्ययन (Feasibility Study) और सुसंगत भागीदारों की उपस्थिति के आधार पर, नगरीय स्थानीय निकाय पीपीपी प्रणाली में कार्यान्वित किए जाने वाले चयन मैट्रिक्स से किसी भी परियोजना को चुनने पर विचार कर सकता है। कार्यान्वयन के निम्नलिखित तरीके सुझाए गए हैं, तथापि, पीपीपी प्रणाली पर कुछ मामलों में, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है परियोजनाओं को आंशिक रूप से वित्त पोषित करने की अनुमति है:-

तालिका-07

#	परियोजना/ विवरण	द्वारा वित्त पोषित	अनुरक्षित	कार्यान्वयन मॉडल
A	**प्रशासनिक**			
A1	कार्यालय भवन	पीपीपी/यूडीडी/ एमसी	संबंधित विभाग	डीबीएफओटी
A2	को-वर्किंग स्पेस	पीपीपी	पीपीपी	डीबीएफओटी
A3	स्मार्ट रिकार्ड रूम	यूडीडी	यूएलबी	ओ एण्ड एम
A4	सी0सी0 टी0वी0 कैमरों एवं नियंत्रण कक्ष की स्थापना	यूडीडी	यूएलबी	ओ एण्ड एम
B	**आर्थिक**			
B1	वर्किंग वूमेन हास्टल	पीपीपी	पीपीपी	ओ एण्ड एम/ डीबीएफओटी/ रियायती मॉडल
B2	फूड स्ट्रीट हब/रात्रि/ साप्ताहिक बाजार	पीपीपी	पीपीपी	ओ एण्ड एम/ डीबीएफओटी/ रियायती मॉडल
B3	कियॉस्क	पीपीपी	पीपीपी	ओ एण्ड एम/ डीबीएफओटी/ रियायती मॉडल

#	परियोजना/ विवरण	द्वारा वित्त पोषित	अनुरक्षित	कार्यान्वयन मॉडल
B4	मैकेनाईज्ड एवं अन्य प्रकार के स्मार्ट पार्किंग	पीपीपी	पीपीपी	ओ एण्ड एम/ डीबीएफओटी/ रियायती मॉडल
B5	नागरिक सुविधा केन्द्र (CFC)/मिनी CFC (आनलाईन काउंटर के साथ, वनडे गर्वनेंस, मोबाइल वैन)	यूडीडी	यूएलबी/ पीपीपी	ओ एण्ड एम/सी एस आर
B6	वैश्विक नगर बाजार	यूडीडी	पीपीपी	ओ एण्ड एम
C	**सामाजिक**			
C1	अनुभव केन्द्र (नगरीय संग्रहालय/ प्रदर्शनी स्थल/वाणिज्यिक स्थल)	यूडीडी/ सीएसआर	एनएन/एनपी/एन पीपी	ओ एण्ड एम
C2	टाउन हॉल	यूडीडी/ अभिसरण	एनएन/एनपीपी	ओ एण्ड एम
C3	बारात घर	यूडीडी/ अभिसरण	एसएचजी/पीपीपी	ओ एण्ड एम/ डीबीएफओटी
C4	सीनियर केयर सेन्टर	सीएसआर/यूडी डी/पीपीपी	एसएचजी/पीपीपी	डीबीएफओटी
C5	रिटायरमेन्ट होम	सीएसआर/यूडी डी/पीपीपी	एसएचजी/पीपीपी	डीबीएफओटी
C6	सभागार/आर्ट गैलरी एवं स्थान /प्रदर्शन कला केन्द्र	यूडीडी/ सीएसआर	एनएन/एनपी/एन पीपी	ओ एण्ड एम
C7	बहुउद्देशीय स्थल (एम्फीथिएटर/ कम्युनिटी सेन्टर)	यूडीडी/ सीएसआर	एनएन/एनपी/एन पीपी	ओ एण्ड एम
C8	कैफे/बुक कैफे	यूडीडी/ सीएसआर	एनएन/एनपी/एन पीपी	ओ एण्ड एम
C9	पेट क्लीनिक / पार्क / आश्रय	यूडीडी/ यूएलबी	पीपीपी/लीज/सेवा संविदा	डीबीटी
C10	मेला/ सिटी ब्राण्डिंग	यूडीडी/ यूएलबी	यूएलबी	बीओओ
C11	निराश्रित गृह	यूडीडी/ यूएलबी	यूएलबी	बीओओ
C12	पुस्तकालय/डिजिटल पुस्तकालय/स्टडी सेन्टर	पीपीपी	पीपीपी	ओ एण्ड एम/ डीबीएफओटी/ रियायती मॉडल

#	परियोजना/ विवरण	द्वारा वित्त पोषित	अनुरक्षित	कार्यान्वयन मॉडल
C13	पर्यटक स्थलों/ सार्वजनिक भवनों में शी लाउंज	यूडीडी/ पीपीपी/सीएसआर	पीपीपी/सीएसआर	ओ एण्ड एम/ डीबीएफओटी
C14	उत्सव ऑडिटोरियम	यूडीडी	पीपीपी	ओ एण्ड एम/ डीबीएफओटी
C15	एनिमल क्रेमेटोरियम	यूडीडी	यूडीडी/यूएलबी	ओ एण्ड एम
C16	स्थानीय निकाय के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों का कायाकल्प/ स्मार्ट क्लास	यूडीडी	यूएलबी/ सी एस आर	ओ एण्ड एम
C17	आंगनबाड़ी केन्द्र	यूडीडी	यूएलबी/ सी एस आर	ओ एण्ड एम
D	**स्वास्थ्य**			
D1	बहुउद्देश्यीय खेल सुविधाएं	पीपीपी	पीपीपी	ओ एण्ड एम/ डीबीएफओटी/ रियायती मॉडल
D2	ओपेन जिम	पीपीपी/सीएसआर	पीपीपी/सीएसआर	ओ एण्ड एम/ डीबीएफओटी/ रियायती मॉडल
D3	अर्बन प्लाजा	पीपीपी	पीपीपी	ओ एण्ड एम/ डीबीएफओटी/ रियायती मॉडल
D4	पुनर्वास/नैदानिक केन्द्र/कल्याण केन्द्र /योगशाला	यूडीडी/यूएलबी/ पीपीपी	पीपीपी	ओ एण्ड एम/ डीबीएफओटी/ रियायती मॉडल
D5	नगरीय शिशु गृह (क्रेच)	यूडीडी/ सीएसआर/ अभिसरण	एनएन/एनपी/एनपीपी	डीबीएफओटी
E	**पर्यावरण**			
E1	शहरी वन	यूडीडी/यूएलबी	यूएलबी	बीओओ
E2	स्मृति/थीम /चिल्ड्रेन पार्क/मनोरंजन पार्क/वेस्ट टु वंडर पार्क	यूडीडी/सीएसआर/अभिसरण	एनएन/एनपी/एनपीपी	ओ एण्ड एम/डीबीएफओटी
E3	अर्बन वेट लैण्ड	यूडीडी/यूएलबी	यूएलबी	बीओओ
E4	सोलर पार्क	यूडीडी/यूएलबी/ पीपीपी	यूएलबी	ओ एण्ड एम
E5	आर्बोरिकल्चर/ नर्सरी/हॉर्टिकल्चर	यूडीडी/यूएलबी	यूएलबी	बीओओ

#	परियोजना/ विवरण	द्वारा वित्त पोषित	अनुरक्षित	कार्यान्वयन मॉडल
E6	हर्बल गार्डन	यूडीडी/ सीएसआर	यूएलबी/ सीएसआर	ओ एण्ड एम
F	**विरासत /संरचना**			
F1	हेरिटेज स्ट्रीट एवं भवन संरक्षण	यूडीडी/ सीएसआर	एनएन/एनपी/एन पीपी	ओ एण्ड एम
F2	स्थान निर्धारण/नगरीय कला सजावट/स्ट्रीट फर्नीचर	यूडीडी/ सीएसआर	एनएन/एनपी/एन पीपी	ओ एण्ड एम
F3	फुट ओवर ब्रिज	यूडीडी/एमसी	एनएन/एनपी/एन पीपी	ओ एण्ड एम
F4	घाट संरक्षण/ कायाकल्प	यूडीडी/यूएलबी	यूएलबी	डीबीटी
F5	सी.सी. रोड नाली सहित*	यूडीडी/यूएलबी	यूएलबी	ओ एण्ड एम
F6	पुराने क्षेत्रों/विरासत शहरों में हैरिटेज स्ट्रीट	यूडीडी/यूएलबी	यूएलबी/ सीएसआर	ओ एण्ड एम
F7	विरासत भवन संरक्षण- विशिष्ट/अधिसूचित स्मारक	यूडीडी/यूएलबी	यूएलबी/ सीएसआर	ओ एण्ड एम
F8	सरकारी विरासत भवनों पर फसाड लाइटिंग	यूडीडी/यूएलबी	यूएलबी/ सीएसआर	ओ एण्ड एम

टिप्पणी- पीपीपी प्रणाली में प्रचलित मॉडलों का विवरण "प्रचलित पीपीपी मॉडल" पर संलग्नक-06 पर है।

7.2.1 नगरीय स्थानीय निकाय हेतु पीपीपी के लिए दिशा-निर्देश

पीपीपी परियोजना पर विचार करते समय नगरीय स्थानीय निकाय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करेंगे:

(क) नगरीय स्थानीय निकाय उपरोक्तानुसार या परियोजना की आवश्यकतानुसार किसी भी मॉडल के उपयोग का निर्धारण करेंगे।

(ख) नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा सुनिश्चित की गई परियोजना का व्यवहार्यता और साध्यता के आधार पर पीपीपी में निष्पादन के किसी अन्य तरीके पर विचार कर सकता है।

(ग) यदि नगरीय स्थानीय निकाय इस योजना के अन्तर्गत निजी अभिकरण (एजेंसी) को वीजीएफ के रूप में धनराशि, अनुदान या किसी भी प्रकार की अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करता है, तो यह अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के पीपीपी गाईडलाईन्स, 2016 यथा संशोधित 2018 के अनुरूप किया जाएगा।

(घ) फण्ड का उपयोग केवल उस परियोजना के निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए किया जाएगा, जिसके लिए वह निर्गत हो। सीएम-वीएनवाई के अन्तर्गत नगरीय स्थानीय निकाय या राज्य सरकार द्वारा दी गयी धनराशि वेतन, प्रशासनिक और अन्य व्यय के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

(ड.) योजना का समग्र पर्यवेक्षण, संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा किया जाएगा।

(च) नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा भारमुक्त भूमि प्रदान की जाएगी। ऐसे मामलों में जहां निजी भागीदार के पास भूमि है, वहॉं नगरीय स्थानीय निकाय परियोजना के निर्माण के लिए आवश्यक मंजूरी और अनापत्ति (NOC) प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करेगा।

(छ) योजना से संबंधित परियोजना, संचालन और अनुरक्षण के लिए अतिरिक्त अनुबंध पर नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

(ज) यदि फंडिंग करने वाला निजी भागीदार परियोजना के नामकरण का अधिकार प्राप्त करना चाहता है, तो नगरीय स्थानीय निकाय के बोर्ड की पूर्व मंजूरी लेनी होगी।

(झ) परियोजनायें केवल हस्तांतरणीय आधार पर होंगी। परियोजना की पट्टा अवधि समाप्त होने के पश्चात विभाग समस्त अवसंरचना और सम्पत्तियों को अपने पास वापस रखेगा।

7.3 अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण

नगरीय स्थानीय निकाय को उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण में परियोजनाएं प्रस्तावित करने की अनुमति है। ऐसी परियोजनाएं, जहां अभिसरण प्राप्त किया जा रहा है, उन्हें राज्य नगरीय अवसंरचना समिति (SUIC) द्वारा अनुमोदन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। अन्य विभाग के अन्तर्गत परियोजनाओं का बुनियादी ढांचा नगर विकास विभाग द्वारा विकसित किया जा सकता है, जिसके उपरान्त ऐसी परियोजना का स्वामित्व, संचालन और अनुरक्षण अभिसरण निधि (Convergence Fund) से संबंधित विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जाएगा। जिन क्षेत्रों में केन्द्रीय या राज्य सेक्टर की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, वहॉं सीएम-वीएनवाई के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोनाओं का अभिसरण (Convergence) सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

7.4 वित्तपोषण के अन्य स्रोत

राज्य सरकार और पीपीपी द्वारा बजटीय आवंटन के अतिरिक्त नगरीय स्थानीय निकाय अपनी परियोजनाओं को निधि देने के लिए अन्य विकल्प की खोज कर सकते हैं। परियोजनाओं को वित्त पोषण करने वाले कुछ संभावित स्रोत हैं:

(1) सीएसआर निधि
(2) सीएसओ अनुदान
(3) अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरणों (एजेंसी) द्वारा अनुदान
(4) माननीय सांसद/विधायक विकास निधि
(5) नगरीय अवस्थापना विकास निधि (UIDF)
(6) म्युनिसिपल बॉण्ड

7.5 उत्तरदायित्व क्रियाविधि

योजना में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित क्रियाविधि को कार्यान्वयन संरचना में शामिल किया जाएगा:-

1. जियो टैगिंग और ड्रोन मैपिंग:

सीएम-वीएनवाई के तहत सभी परियोजनाओं को जियो-टैग किया जाएगा। सभी हितधारकों के लिए सटीक दस्तावेज़ीकरण और दृश्य साक्ष्य सुनिश्चित करते हुए, परियोजना स्थानों, प्रगति और गुणवत्ता पर सटीक, वास्तविक समय डेटा एकत्र करने के लिए ड्रोन मैपिंग की जाएगी।

2. नगरीय अवसंरचना निर्देशिका और डेटा बेस:

सभी परियोजनाओं पर जानकारी को केंद्रीकृत करने के लिए एक व्यापक शहरी बुनियादी ढांचा निर्देशिका और डेटाबेस बनाया जाएगा, जो राज्य शहरी डिजिटल मिशन के साथ अभिसरण करके बुनियादी ढांचे की संपत्तियों और गतिविधियों की आसान पहुंच, प्रबंधन और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करेगा।

3. मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन अनुश्रवण:

नगरीय डिजिटल मिशन (एसयूडीएम) परियोजनाओं की वास्तविक समय की ऑनलाइन निगरानी के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करेगा, जो हितधारकों को प्रगति को ट्रैक करने, मुद्दों को रिपोर्ट करने और सीधे अपने मोबाइल उपकरणों पर अपडेट प्राप्त करने में सक्षम करेगा।

4. खाता संचालन एवं प्रबन्धन:

खाता संचालन एवं प्रबंधन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या ए-1-122/10-2012-10(33)-2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार किया जायेगा।

5. नगरीय स्थानीय निकाय स्तर पर सतत् अनुश्रवण:

नगरीय स्थानीय निकाय (यूएलबी) परियोजनाओं की दिन-प्रतिदिन की निगरानी सुनिश्चित करने, समय पर हस्तक्षेप और परियोजना की समयसीमा और मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर पर निरंतर निगरानी सुनिश्चित करेगा।

6. अनुश्रवण के लिए प्रशासनिक और अन्य व्यय (A&OE):

उत्तरदायित्व क्रियाविधि स्थापित करने के लिए धन की आवश्यकता सीएम-वीएनवाई के तहत प्रशासनिक एवं अन्य व्यय (A&OE) खर्चों से पूरी की जाएगी।

7. लोक-सहभागिता और हितधारक (Stakeholders) परामर्श:

नगरीय स्थानीय निकाय को फीडबैक इकट्ठा करने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और सामुदायिक विश्वास और समर्थन बनाने के लिए पूरे प्रोजेक्ट जीवनचक्र में सक्रिय नागरिक भागीदारी और हितधारक परामर्श को प्रोत्साहित करना होगा।

8. तृतीय पक्ष द्वारा गुणवत्ता अनुश्रवण अभिकरण (TPQMA) :

परियोजना की निरंतर निगरानी के लिए नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा नियमित आधार पर कार्य किया जाएगा।

8. मूल्यांकन प्रक्रिया और समय-सीमा

8.1 मूल्यांकन मैट्रिक्स

नगरीय स्थानीय निकाय से प्राप्त परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित मूल्यांकन मैट्रिक्स का उपयोग किया जायेगा:

तालिका-08

नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएं (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना CM-VNY)		
परियोजना के चयन हेतु मार्किंग मैट्रिक्स		
क्र0 सं0	**विवरण**	**अंक**
1	दिशा-निर्देश के संलग्नक-1 में सूचीबद्ध परियोजनायें।	10
2	**प्रस्ताव में हरित/संधारणीय तकनीक सम्मिलित हैं**	
2.1	भवन के आवश्यक भार की न्यूनतम 100% क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र	10
2.2	भवन के आवश्यक भार की न्यूनतम 50% क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र	5
2.3	प्रस्तावित भवन के आच्छादित क्षेत्र का न्यूनतम 100% जलग्रहण क्षेत्र के साथ प्रस्तावित वर्षा जल संचयन	5
2.4	कुल चिनाई कार्य के कम से कम 50% में एसीसी ब्लॉकों का उपयोग	5
2.5	परियोजना के कारण कोई पेड़ नहीं काटना (मानदंडों के अनुसार न्यूनतम परिधि)	5
3	**अभिसरण निधि का उपयोग**	
3.1	रू0 5 लाख से कम	5
3.2	रू0 5 लाख से 10 लाख	10
3.3	रू0 10 लाख से अधिक	15
4	ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC)का अनुसरण करने वाली परियोजनायें	5
5	ऐसी परियेाजनायें, जिसमें 10% निधि मा0 सांसद निधि/मा0 विधायक निधि से प्राप्त हुयी, हों	15
6	पीपीपी मोड में विकसित परियोजनायें	15
7	सीपीडब्ल्यूडी/बीएमटीपीसी द्वारा सूचीबद्ध नई तकनीक का उपयोग करके प्रस्तावित की गयी परियोजनायें	10
8	एस्क्रो खाते (Escrow account) में नगरीय स्थानीय निकाय से 5 वर्षों के लिए प्रतिबद्धता	5
	कुल अंक	**100**

8.2 योजना की समय-सीमा

(क) यह योजना वित्तीय वर्ष 2024-2025 से प्रारम्भ होगी और 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगी।

(ख) योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही पूर्ण किया जाना होगा।

(ग) प्राकृतिक आपदा, स्थल विवाद आदि जैसी अपरिहार्य अप्रत्याशित परिस्थितियों को छोड़कर, यदि परियोजना निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी नहीं होती है, तो अनुमोदित परियोजना पूरी होने तक किसी अन्य योजना के लिए कोई अन्य राशि नगरीय स्थानीय निकाय को उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। साथ ही विलम्ब हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

(घ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निम्नलिखित समय-सीमा का पालन किया जायेगा:

तालिका-09

#	कार्य	समय-सीमा
1.	शासनादेश / प्रस्ताव @ नगरीय स्थानीय निकाय स्तर	अप्रैल-मई
2.	राज्य स्तरीय अनुमोदन (SUIC)	मई-जुलाई
3.	Detailed Project Report - यूएलबी स्तर पर तैयारी	जून-अगस्त
4.	Detailed Project Report - राज्य स्तर पर अनुमोदन	जून-अगस्त
5.	परियोजना का निष्पादन एवं अनुश्रवण	सितम्बर से
6.	निर्माण पूरा किया जाना	एल.ओ.ए. जारी होने के पश्चात 12 से 18 महीने है।

<u>टिप्पणी-</u>1. प्रोजेक्ट में 18 महीने तक विस्तार की सशर्त मंजूरी दी जा सकती है।
2. सदस्य सचिव मासिक आधार पर प्रगति की निगरानी करेंगे।
3. चालू परियोजनाओं की त्रैमासिक समीक्षा राज्य नगरीय अवसंरचना समिति (SUIC) द्वारा की जायेगी।

9. कार्यान्वयन संरचना एवं कार्य-प्रणाली

9.1 कार्यान्वयन संरचना के सोपान

नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएं (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना CM-VNY) एक द्विस्तरीय कार्यान्वयन संरचना का पालन करेगा, जिसमें परियोजनाएं नगरीय स्थानीय निकाय (यूएलबी) की संबंधित समिति की मंजूरी के बाद संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा नगरीय निकाय निदेशालय को प्रस्तुत की जाएंगी। नगरीय निकाय निदेशालय की मंजूरी के बाद परियोजना को मंजूरी के लिए राज्य नगरीय अवसंरचना समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।
द्विस्तरीय कार्यान्वयन संरचना इस प्रकार है:

चित्र-05

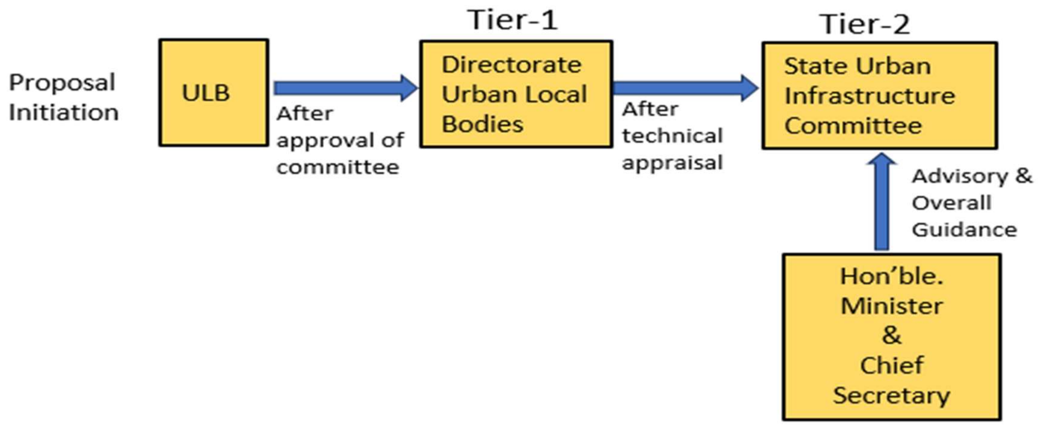

चित्र-06

9.1.1 राज्य नगरीय अवसंरचना समिति (SUIC)

1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग	अध्यक्ष
2	निदेशक, नगरीय स्थानीय निकाय , उ0प्र0	सदस्य सचिव
3	सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	सदस्य
4	सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
5	सचिव, ऊर्जा विभाग	सदस्य
6	सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग	सदस्य
7	सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
8	सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
9	सचिव/मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
10	निदेशक, सी एण्ड डीएस, उत्तर प्रदेश	सदस्य
11	निदेशक, एन.आई.सी. (परियोजनाओं की आवश्यकतानुसार)	सदस्य
12	अध्यक्ष के विवेकानुसार	विशेष आमंत्री सदस्य

मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश योजना के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी, पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन देना।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा मूल्यांकन के बाद, परियोजनाओं को राज्य नगरीय अवसंरचना समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य नगरीय अवसंरचना समिति, योजना के समग्र कार्यान्वयन, निरंतर अनुश्रवण और आवश्यकता के अनुसार अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। समिति का कार्य क्षेत्र निम्नानुसार होगा:

(क) राज्य नगरीय अवसंरचना समिति (SUIC) योजना के कार्यान्वयन के लिए समग्र मार्गदर्शन और निर्देश प्रदान करेगी।

(ख) समिति, निर्माण के लिए परियोजनाओं की समग्र मंजूरी प्रदान करेगी।

(ग) समिति अनुमोदित परियोजनाओं की निरंतर और व्यापक अनुश्रवण करेगी।

(घ) समिति आवश्यकतानुसार समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करेगी।

(ड.) समिति, अंतर-विभागीय समन्वय और अभिसरण कराना सुनिश्चित करेगी।

(च) समिति के सदस्य सचिव परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने एवं मासिक समीक्षा कराने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(छ) मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग और मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन यथा- आवश्यकता प्रगति की समीक्षा करेंगे।

(ज) प्रस्तुत की गई वार्षिक प्रगति रिपोर्ट को सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र (विभागीय वेबसाईट) में रखा जाना अनिवार्य होगा।

9.1.2 प्रस्ताव /परियोजना निर्माण समिति

- नगरीय स्थानीय निकाय (ULB) के स्तर पर एक प्रस्ताव/परियोजना निर्माण समिति का गठन किया जायेगा, जो प्रस्ताव/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) तैयार करायेगी।

- नगर निगम द्वारा परियोजनाओं हेतु नगरीय स्थानीय निकायों की अवस्थापना एवं विकास निधि तथा 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत अवमुक्त धनराशि के उपयोग हेतु नगर निगम के लिये महापौर की अध्यक्षता में पूर्व से गठित समिति से प्रस्ताव स्वीकृत कराकर नगरीय स्थानीय निकाय निदेशालय को प्रस्तुत किया जायेगा।

- नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के लिये जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति से प्रस्ताव स्वीकृत कराकर नगरीय स्थानीय निकाय निदेशालय को प्रस्तुत किया जायेगा।

(क) नगर निगमों के लिए समिति संरचना

तालिका-10

1	महापौर	अध्यक्ष
2	नगर आयुक्त	सदस्य सचिव/संयोजक
3	जिलाधिकारी	सदस्य
4	सम्बन्धित उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण	सदस्य
5	आयुक्त द्वारा नामित अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य

(ख) नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के लिए समिति संरचना

तालिका-11

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	अधिशासी अभियन्ता	सदस्य
3	अधिशासी अधिकारी	सदस्य
4	लेखाधिकारी	सदस्य
5	जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य	सदस्य

9.2 परियोजना प्रबन्धन इकाई (PMU) का गठन एवं कार्य:-

(क) योजना से सम्बन्धित सभी गतिविधियों को पूर्ण करने में सहयोग के लिए निदेशालय स्तर पर एक परियोजना प्रबन्धन इकाई (PMU) का गठन किया जायेगा, जो निदेशक, नगर निकाय निदेशालय को रिपोर्ट करेगी।

(ख) आवश्यकतानुसार नगर नियोजक, नगरीय डिजाईनर/ लैण्ड स्केप आर्किटेक्ट, सिविल इन्जीनियर, प्रोक्योरमेन्ट विशेषज्ञ इत्यादि जैसे तकनीकी विशेषज्ञ परियोजनाओं की अवधारणा बनाने, सीएम-वीएनवाई पोर्टल पर अपलोड की गयी परियोजनाओं का तकनीकी व वित्तीय मूल्यांकन करने में नगर निकाय निदेशालय की सहायता करेंगे। परियोजना प्रबन्धन इकाई (PMU) वार्षिक कार्ययोजना की तैयारी में नगरीय स्थानीय निकाय का मूल्यांकन और सहायता भी करेगी।

(ग) निदेशालय स्तर के परियोजना प्रबन्धन इकाई (PMU) एवं मुख्य अभियन्ता, नगर निकाय निदेशालय द्वारा तकनीकी परीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव राज्य नगरीय अवसंरचना समिति (SUIC) के विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(घ) पीएमयू के कार्यों के विस्तृत दायरे में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, परन्तु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है:-

- ✓ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) का तकनीकी मूल्यांकन।
- ✓ (CM-VNY) योजना के सम्बन्ध में परामर्श।
- ✓ निविदा प्रक्रिया प्रबन्धन।
- ✓ निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों एवं गुणवत्ता नियंत्रण उपाय पर रिपोर्टिंग।
- ✓ परियोजनाओं के लिये नगरीय स्थानीय निकाय को सहायता एवं समर्थन।
- ✓ परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन।
- ✓ नगरीय स्थानीय निकाय स्तर पर क्षमता निर्माण।
- ✓ योजना से सम्बन्धित समस्त/हितधारकों (Stakeholders) के प्रशिक्षण अभ्यास।
- ✓ हितधारकों (Stakeholders) के साथ तकनीकी ज्ञान साझा करना।
- ✓ उपार्जन (Procurement) गतिविधियों में सहयोग करना।
- ✓ सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार कोई अन्य कार्य।

9.3 क्रियान्वयन पद्धति

योजना के व्यापक कार्यान्वयन संरचना पर निम्नलिखित बिन्दु प्रकाश डालते हैं:

(क) सीएम-वीएनवाई के तहत दो स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी प्रणाली बनाई जाएगी।

(ख) परियोजना का गठन संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा संबंधित समिति से परामर्श और अनुमोदन, व्यवहार्यता अध्ययन (Feasibility Study) और निजी भागीदारों के साथ परामर्श के उपरान्त की जाएगी।

(ग) प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले प्रस्तावों पर माननीय सांसद एवं विधायक का सुझाव लिया जा सकता है।

(घ) नगर निगमों के लिए नगरीय स्थानीय निकायों के बुनियादी ढांचे के विकास निधि के तहत जारी धनराशि के उपयोग और नगर निगमों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के लिए 15 वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के लिए, प्रस्ताव को महापौर की अध्यक्षता में पहले से ही गठित समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ड.) नगर पंचायतों एवं नगर पालिका परिषदों के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया जायेगा।

(च) नगर विकास विभाग को यह अधिकार होगा कि जनहित में प्राप्त प्रस्तावों पर सम्बन्धित निकायों के माध्यम से आगणन प्राप्त कर स्वीकृति प्रदान कर सकेगा।

(छ) परियोजनाओं का विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तकनीकी मूल्यांकन और अग्रेतर कार्यवाही के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी।

(ज) निदेशक, नगर निकाय के समग्र पर्यवेक्षण में PMU और मुख्य अभियन्ता, नगर निकाय निदेशालय द्वारा तकनीकी मूल्यांकन किया जायेगा।

(झ) राज्य नगरीय अवसंरचना समिति (SUIC) से अनुमोदित होने के पश्चात परियोजना को शासन (नगर विकास विभाग) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। तत्पश्चात परियोजना की प्रथम किश्त वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति के नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार जारी की जाएगी।

(ट) शासन (विभाग) से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय (ULB) निश्चित समय-सीमा में निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा और सम्बन्धित निविदादाता (कान्ट्रेक्टर) को नियमानुसार कार्य आदेश जारी करेगा।

(ठ) कार्यदायी संस्था को जारी कार्य आदेश (Letter of Award-LoA) को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

(ड) समस्त कार्यों का अनुबन्ध- डेटा/कार्य का नाम/कार्य की लागत/कॉन्ट्रेक्टर/कार्यदायी संस्था का नाम एवं अन्य सूचना ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

(त) यदि किसी भी कारण से परियोजना के पूर्ण होने में विलम्ब होता है, तो संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय, राज्य नगरीय अवसंरचना समिति को एक लिखित स्पष्टीकरण/औचित्य प्रस्तुत करेगा और परियोजना को पूर्ण करने के लिए एक नई समय सीमा के लिए औपचारिक आवेदन करेगा, और समिति द्वारा अनुमोदन के बाद ही, प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए नया टाइम टेबल जारी किया जाएगा। यदि कार्यदायी संस्था/निकाय इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से परियोजना में विलम्ब करती है, तो समिति जुर्माना/कार्रवाई कर सकती है और गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार उत्तरदायित्व निर्धारित कर सकती है।

वर्क फ्लो मैट्रिक्स

Action	#	Activity	Time Line (Days)	Tentative Date
योजना @ नगरीय स्थानीय निकाय स्तर • 5 वर्षों के लिए विजन योजना • वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक कार्य योजना	1.1	नगरीय स्थानीय निकाय की आवश्यकता को समझने के लिए हितधारक(स्टेकहोल्डर) परामर्श	4	वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल के तृतीय सप्ताह
	1.2	जाँच लें कि क्या किसी अन्य योजना में समान परियोजना की परिकल्पना/अनुमोदन तो नहीं किया जा रहा है	3	
	1.3	शहर के मौजूदा मास्टर प्लान / यू.आर.डी.पी.एफ.आई दिशा-निर्देशों के अनुरूप परियोजनाओं को अंतिम रूप देना	3	
	1.4	निष्पादित की जाने वाली परियोजना के लिए भारमुक्त भूमि की उपलब्धता / स्थान की जांच	7	
	1.5	बाजार सर्वेक्षण / पिछले अनुभव के आधार पर एकमुश्त (lump sum) परियोजना लागत का अनुमान लगाया जाएगा	5	
	1.6	चिन्हित परियोजना की अन्तिम सूची (विजन योजना+वार्षिक कार्ययोजना) संलग्नक-4 के साथ निदेशालय को भेजी जाएगी (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत की संबंधित समिति से अनुमोदन के बाद)	3	
राज्य स्तरीय अनुमोदन • 5 वर्षों के लिए विजन योजना • वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक कार्य योजना	2.1	PMU द्वारा सभी ULBs से प्राप्त विजन योजना (Vision Plan) और वार्षिक कार्ययोजना (annual action plan) का संकलन और वर्गीकरण	3	10th May 2025
	2.2	नगर निकाय निदेशालय द्वारा विजन योजना और वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन	3	
	2.3	राज्य नगरीय अवसंरचना समिति/शासन द्वारा विजन योजना (Vision Plan) और वार्षिक कार्ययोजना (annual action plan) का अनुमोदन	7	
	2.4	अनुमोदित विज़न प्लान और कार्य योजना निदेशक को भेजी जाएगी + डीपीआर प्रस्तुत करने के लिए निदेशक, नगर निकाय निदेशालय द्वारा सभी नगरीय स्थानीय निकाय को आदेश भेजा जाएगा	2	
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	3.1	हितधारकों (Stakehoder) द्वारा साइट का सर्वेक्षण (Topograpgy, soil investigation etc)	5	10th June 2025

Action	#	Activity	Time Line (Days)	Tentative Date
• यूएलबी स्तर पर तैयारी • अनुमोदन के लिए राज्य स्तर पर प्रस्तुत करना	3.2	वास्तुशिल्प (architecture) डिजाइन और स्थान योजना + विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(DPR) तैयारी	15	
	3.3	दिशा-निर्देश संलग्नक - 5 में संलग्न चेक लिस्ट के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(DPR) का संकलन	3	
	3.4	नगरीय स्थानीय निकाय के लिये मौजूदा समिति द्वारा परियोजना का अनुमोदन (As per 15th Finance Commision in NN and DM Committee in NPP, NP)	6	
	3.5	अनुमोदित परियोजना को निदेशालय में प्रस्तुत करना	2	
डीपीआर का अनुमोदन • निदेशालय • शासन स्तर	4.1	परियोजना प्रबन्धन इकाई (PMU) एवं मुख्य अभियन्ता, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(DPR) का तकनीकी और वित्तीय परीक्षण।	6	15th July 2025
	4.2	प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(DPR) पर रिपोर्ट अनुमोदन हेतु निदेशालय के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी	3	
	4.3	नगरीय निकाय निदेशालय से अनुमोदन के लिए रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की जाएगी।	3	
	4.4	5 करोड़ से अधिक की परियोजना के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों/प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	15	
	4.5	परियोजना के लिए स्वीकृत प्रथम किस्त शासनादेश के अनुसार नगरीय निकाय निदेशालय/सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय को भेजा जाएगा।	7	
परियोजना का निष्पादन एवं अनुश्रवण	5.1	अनुमोदित परियोजना की निविदा संबंधित एजेंसी द्वारा की जाएगी	45	31st August 2025
	5.2	योग्य बोलीकर्ता (Qualified bidder) को मानदंडों के अनुसार कार्यादेश (WO) जारी किया जाएगा	5	
	5.3	परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना।	365	
	5.4	हर महीने, चल रही परियोजना की निगरानी		

9.4 क्रियान्वयन अभिकरण (एजेंसी) एवं परियोजना की रूपरेखा

(क) परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव जैसे अन्य महत्वपूर्ण कारकों को भी ध्यान में रखा जाएगा और सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव वाली परियोजनाओं को Indian Green Building Council/ Green Rating for Integrated Habitat Assessment मानकों को पूर्ण करने के लिये अतिरिक्त 10% धनराशि मौसम प्रोत्साहन अनुदान (Climate Incentive Grant) के रूप में आवंटित की जाएगी।

(ख) योजनान्तर्गत 05 करोड़ से ऊपर की परियोजनाएं ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता(ECBC), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अनुरूप होंगी।

(ग) भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (BMTPC) और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) द्वारा सूचीबद्ध टिकाऊ निर्माण प्रौद्योगिकी को परिनियोजित करने वाली परियोजना को प्राथमिकता दी जाएगी।

(घ) योजनान्तर्गत प्रस्तावित निर्माण परियोजनाएं राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code), स्थानीय भवन उपनियम (Local Building Bye-laws) और क्षेत्र के अनुरूप मास्टर प्लान मास्टरप्लान जैसे अन्य प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुरूप होगी। साथ ही उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973, उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 1986 तथा उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु संबंधित विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र/यूएलबी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र(N.O.C.) एवं अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(ड.) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन से सम्बन्धित परियोजनाओं में निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन किया जायगा:-

1. नगरीय निकाय क्षेत्र में अवस्थित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 सपठित वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम-2023 के अन्तर्गत भारत सरकार से पूर्वानुमति की आवश्यकता होगी।
2. यदि यह भूमि वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क में अवस्थित पायी जाती है तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, नई दिल्ली के साथ-साथ मा0 सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
3. इसके अतिरिक्त यदि नगरीय निकाय क्षेत्र वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क की सीमा से 10 किमी0 एवं इको सेन्सटिव जोन के अन्तर्गत अवस्थित है, तब भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वन संरक्षण डिवीजन के पत्रांक-एफ0सी0-11/119/2020-एफसी, दिनांक 17.05.2022 के अनुरूप पर्यावरणीय अनापत्ति (Environment Clearance), वन विभाग की अनापत्ति (Forest Clearance) और वन्यजीव विभाग की अनापत्ति परियोजना प्रस्तावक (Wildlife Clearance Project proponent) द्वारा प्राप्त की जायेगी।
4. गैर वन भूमि/कृषि भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन हेतु वृक्ष (संरक्षण) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारी से पातन की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
5. नगरीय निकाय क्षेत्र में परियोजना की स्थापना के पूर्व सम्बन्धित संस्था के द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुरूप यथा आवश्यकता पर्यावरणीय अनापत्ति लिया जाना होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पर्यावरण संघात अधिसूचना 2006 यथासंशोधित के प्राविधानों के अनुसार सक्षम स्तर से नियमानुसार पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
6. नगरीय निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदूषण स्रोतों से संबंधित ईकाइयों की स्थापना के पूर्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)

अधिनियम, 1981 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार नियमानुसार स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

7. नगरीय निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदूषण स्रोतों से संबंधित ईकाइयों के संचालन के पूर्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार नियमानुसार संचालनार्थ सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
8. नगरीय निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन का ऑनलाइन अनुश्रवण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय पर स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से किए जाने के दृष्टिगत उक्त इकाईयों में उचित स्थलों पर पी0टी0जेड0 रोटेटिंग कैमरा ओपेन एक्सेस व्यवस्था के अनुसार स्थापित कराया जाए।
9. नगरीय निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत जनित होने वाले अपशिष्टों का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत सुसंगत अपशिष्ट प्रबन्ध नियमों के प्राविधानों के अनुसार पृथक्कीकरण, एकत्रण एवं प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. नगरीय निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत समुचित पर्यावरण प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वरा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के लिए समय-समय पर जो अन्य शर्ते/ प्राविधान निर्धारित किया गया हो, उनका भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. टी.टी.जेड. क्षेत्रान्तर्गत के प्रकरणों पर नियमानुसार अनुमति सुनिश्चित किया जायेगा।

(छ) परियोजना के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था का चयन वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाएगा।

9.5 प्रचालन एवं अनुरक्षण प्रक्रिया

इस योजनान्तर्गत सृजित अवसंरचनाओं का प्रचालन एवं अनुरक्षण सम्बन्धित नगरीय निकाय द्वारा किया जाएगा। यह स्थानीय निकायों द्वारा अपनी निधियों/संसाधनों/भवन से प्राप्त उपयोगकर्ता शुल्कों से सुनिश्चित किया जायेगा।

9.6 प्रशासनिक एवं अन्य व्यय:

i. योजनान्तर्गत PMU, क्षमता निर्माण, इन्फार्मेशन एजूकेशन एण्ड कम्यूनिकेशन (IEC), प्रशासनिक एवं अन्य मदों (A& OE) पर व्यय के लिए कुल प्राविधानित बजट का 02 प्रतिशत धनराशि आरक्षित होगी।

ii. 2% आरक्षित धनराशि में से 1% धनराशि नगर निकाय निदेशालय स्तर पर आरक्षित किया जायेगा। नगर निकाय निदेशालय स्तर पर आरक्षित धनराशि हेतु एक बैंक खाता पृथक से खोला जायेगा। खाते के आय-व्ययक का विवरण सहायक निदेशक (लेखा), नगर निकाय निदेशालय द्वारा रखा जायेगा। सहायक निदेशक (लेखा) द्वारा उक्त खाते के संचालन में संगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त खाते में उपलब्ध धनराशि का निम्न प्रकार से उपयोग किया जायेगा:-

- परियोजना प्रबन्धन इकाई की स्थापना।
- क्षमता निर्माण, इन्फार्मेशन एजूकेशन एण्ड कम्यूनिकेशन (IEC) एवं प्रशासनिक एवं अन्य मदों (A& OE) हेतु।
- कार्यशाला/प्रशिक्षण/स्टडी/केस स्टडी/स्टेशनरी और देश के अन्तर्गत अधिकारियों के भ्रमण/यात्रा, परियोजना विशेषज्ञ, उपार्जन (Procurement) विशेषज्ञ, अनुबन्ध प्रबन्धन, ट्रान्जैक्शन परामर्शी के लिए सीमा से बाहर का व्यय।

- योजना के अनुश्रवण हेतु डैशबोर्ड विकसित करने व अन्य डिजिटल और आई0टी0 इनिशिएटिव हेतु।
- सामाजिक-आर्थिक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन/शोध/ अभिलेखीकरण, राज्य स्तर पर प्रचार-प्रसार, वार्षिक रिपोर्ट इत्यादि पर व्यय किया जायेगा।
- राज्य नगरीय अवसंरचना समिति (SUIC) द्वारा निर्देशित कोई अन्य कार्य।

iii. शेष 1% धनराशि नगरीय स्थानीय निकाय के लिए निम्नलिखित गतिविधियों हेतु उपलब्ध करायी जायेगी:-

- क्षमता निर्माण, इन्फार्मेशन एजूकेशन एण्ड कम्यूनिकेशन (IEC) एवं प्रशासनिक एवं अन्य मदों (A& OE) हेतु।
- परियोजना विशेषज्ञ, उपार्जन (Procurement) विशेषज्ञ, अनुबन्ध प्रबन्धन, ट्रान्जैक्शन परामर्शी के लिए सीमा से बाहर का व्यय।
- आवश्यक होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, लीफलेट्स, फोटोग्राफ/आडियो-विजुवल माध्यमों, वाल पेन्टिंग, नुक्कड़-नाटक तथा स्थानीय कलाकारों के माध्यम से करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।
- नगर चौपाल के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन/शोध/ अभिलेखीकरण हेतु विभिन्न गतिविधियां की जा सकेंगी।
- डीपीआर तैयार करने और डीपीआर तैयार करने के लिए आवश्यक सर्वेक्षणों के लिए कार्य करने वाले सलाहकार/टीम को भुगतान।
- आवश्यकतानुसार यात्रा व्यय।
- यदि नगर निकाय निदेशालय स्तर पर आरक्षित धनराशि में बचत होती है, तो उसे आवश्यकतानुसार नगरीय स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराया जा सकेगा।
- योजनान्तर्गत पीएमयू/क्षमता निर्माण/आईईसी तथा ए.एण्ड.ओ.ई. मदों पर व्यय होने वाली धनराशि का आहरण वास्तविक व्यय के आधार किया जायेगा, जो कि कुल प्राविधानित बजट के 2 प्रतिशत से अनधिक होगा।

9.7 शहरी अवसंरचना योजना

प्रत्येक भाग लेने वाले नगरीय स्थानीय निकाय (ULB) को एक पंचवर्षीय शहरी अवसंरचना विजन प्लान तैयार करना होगा, जो नगरीय स्थानीय निकाय (ULB) में विद्यमान अवसंरचना को मैप करेगी और भविष्य के अवसंरचना के लिए प्राथमिकता सूची भी बनाएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 से प्रारम्भ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में नगरीय स्थानीय निकाय शहरी अवसंरचना विजन प्लान के आधार पर एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगा। शहरी अवसंरचना विजन प्लान को 15वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत नगरीय स्थानीय निकाय स्तर पर गठित समिति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा और अनुमोदन के लिए निदेशक, नगर निकाय निदेशालय के माध्यम से राज्य नगरीय अवसंरचना समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। शहरी अवसंरचना विजन प्लान का सांकेतिक टेम्पलेट संलग्नक-4 में है।

9.8 लेखापरीक्षा एवं लेखा

(1) वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)-2010 दिनांक 21 मार्च, 2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(2) पीपीपी परियोजनाओं के सम्बन्ध में अवस्थापना विकास विभाग द्वारा पीपीपी परियोजनाओं के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/शासनादेशों/सुसंगत अधिनियमों व नियमों के अनुरूप अनुपालन किया जायेगा।

(3) खातों का लेखापरीक्षा किसी मान्यता प्राप्त अभिकरण (एजेंसी)/चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रतिवर्ष किया जाना चाहिए।

(4) योजनान्तर्गत किया गया कार्य प्रचलित मानदण्डों अनुसार लेखापरीक्षा के अधीन होगा।

9.9 तृतीय पक्ष आडिट

तृतीय पक्ष द्वारा गुणवत्ता अनुश्रवण अभिकरण (TPQMA) : नगरीय स्थानीय निकाय (यूएलबी) योजना के विभिन्न घटकों के अधीन गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तृतीय पक्ष द्वारा गुणवत्ता अनुश्रवण अभिकरण (TPQMA) को सम्मिलित करेगा। नगरीय स्थानीय निकाय (यूएलबी) को अन्य पक्ष अभिकरणों को सम्मिलित करते हुए अपनी गुणवत्ता अनुश्रवण और आश्वासन योजनाएं तैयार करनी चाहिए। ऐसी योजना में, तृतीय पक्ष अभिकरणों द्वारा परियोजना स्थल का निरीक्षण करने और गुणवत्ता संबंधी मुद्दों पर राज्य और नगरीय स्थानीय निकायों को परामर्श देना सम्मिलित होगा। ऐसे अभिकरणों द्वारा दिये गये गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट और अपने तकनीकी कर्मचारियों की रिपोर्ट के आधार पर मानक गुणवत्ता वाले अवसंरचना को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और नगरीय स्थानीय निकाय को निवारक और उपचारात्मक दोनों उपाय करने चाहिए।

10. परिणाम

योजनान्तर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वित किये जाने से निम्नलिखित परिणाम परिकल्पित हैं:-

1. यह योजना राज्य में नगरीय अवसंरचना में एकरूपता सुनिश्चित करती है। समस्त नगरीय आबादी को उनके जीवन स्तर और नगरीय स्थानीय निकाय के आकार के अनुपात में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के समान स्तर तक पहुंच प्राप्त होगी।
2. यह योजना सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने का प्रयास करेगी।
3. यह योजना राज्य के नगरीय क्षेत्रों में रहने की क्षमता (Liveability Condition) को बढ़ाएगी, हरित आवरण को बढ़ाकर पर्यावरणीय स्थिरता (Environmental Sustainability) को बढ़ाएगी। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों को बढ़ाना।
4. नगरीय स्थानीय निकायों में अवसंरचना सुविधाओं में सुधार से उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में उनका योगदान अत्यधिक बढ़ जाएगा।
5. केंद्रीय तथा राज्य स्मार्ट सिटी के तहत परिकल्पित परियोजना को सीएम-वीएनवाई के माध्यम से लक्ष्य से अभियान ("मिशन टू मूवमेंट") के रूप में अन्य नगर पालिका परिषद और पंचायत तक विस्तारित किया जाएगा।
6. योजनान्तर्गत नगरीय स्थानीय निकायों में परियोजना के लिए पीपीपी/सीएसआर के माध्यम से निवेश में वृद्धि होगी।
7. इन परिसम्पत्तियों के निर्माण से नगरीय स्थानीय निकाय के लिए राजस्व स्रोत बढ़ेंगे, जिससे नगरीय स्थानीय निकाय की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और वे आत्मनिर्भर बनेंगे।
8. योजनान्तर्गत सम्पत्तियों की ऑनलाइन मैपिंग/दस्तावेजीकरण के माध्यम से विद्यमान अवसंरचना की एक सूची बनाई गई है जो सम्पत्तियों की पहचान करने और मुद्रीकरण करने में मदद करेगी।

11. संलग्नक-1

चिन्हित परियोजनाओं का संकेतात्मक क्षेत्र विवरण:

#	Project Description	ULB Type	Pax/ Capa city	unit	BUA (SqM)	Site Area (SqM)
A	**ADMINISTRATIVE**					
A1	Office Buildings	NN	90	Seating	1500	2500
		Pop>1 Lac + DHQ	45	Seating	500	850
		Pop <1 Lac	40	Seating	300	500
A2	Co- Working space	NN	90	Seating	600	1000
A3	Smart Record Room (Storage of documents & Digitisation of Records)	NN	5	Seating	200	--
		Pop>1 Lac + DHQ	3	Seating	100	--
A4	Establishment of CCTV Cameras and Control Room	Pop>1 Lac + DHQ	CCTV As per site conditions Control Rooms can be made in existing room available			

#	Project Description	ULB Type	Pax/ Capa city	unit	BUA (SqM)	Site Area (SqM)
B	**Economic**					
B1	Working Women Hostel	NN	100	Bed	4000	3000
		Pop>1 Lac + DHQ	50	Bed	2000	1500
B2	Food Street Hub/ Night/ Weekly Market	NN	-		0	4000
		Pop>1 Lac + DHQ	-		0	2000
B3	Kiosk	NN	10			
		Pop>1 Lac + DHQ	10			
B4	Mechanized & other types of smart parking	NN	100	ECS	800000	
B5	Citizen Facilitation Centre (CFC)/Mini CFC	NN	100	Seating	500	1500
		Pop>1 Lac + DHQ	70	Seating	350	1050

#	Project Description	ULB Type	Pax/ Capacity	unit	BUA (SqM)	Site Area (SqM)
		Pop <1 Lac	50	Seating	250	750
B6	Vaishvik Bazar	Pop>1 Lac + DHQ	20 Shops/ 200 pax	Seating	325	1100
		Pop <1 Lac	20 Shops/ 200 pax	Seating	325	1100

#	Project Description	ULB Type	Pax/ Capacity	unit	BUA (SqM)	Site Area (SqM)
C	**SOCIAL**					
C1.1	Experience Center (Exhibition Space)	NN	300	ppl	1500	2500
		Pop>1 Lac + DHQ	150	ppl	750	1250
C1.2	Experience Center (Urban Museum/Commercial)	NN	400	ppl	2000	3300
		Pop>1 Lac + DHQ	300	ppl	1500	2500
C2	Town Hall	NN	200	ppl	1000	3300
		Pop>1 Lac + DHQ	120	ppl	600	2000
C3	Marriage hall	NN/ Pop>1 Lac + DHQ/ Pop <1 Lac	400	ppl	1000	3300
C4	Senior Care Center	NN	60	ppl	300	500
C5	Retirement home	NN	200	DU	9000	22500
C6.1	Auditorium/ & Spaces/ Centre for performing Art/ Amphitheatre	NN	1000	seating	500	835
C6.2	Art Gallery & Spaces	NN	300	ppl	1500	2500
C7	Multifunctional Spaces (Community Centre/MP Hall)	NN	1000	seating	2500	4170
		Pop>1 Lac + DHQ	600	seating	1500	2500
		Pop <1 Lac	200	seating	500	835
C8	Café/Book Café	NN	100	seating	250	

#	Project Description	ULB Type	Pax/ Capacity	unit	BUA (SqM)	Site Area (SqM)
C9.1	Pet Park/ Shelter	NN	-	-	-	4000
		Pop>1 Lac + DHQ	-	-	-	2000
C9.2	Pet Clinic	NN	-	-	500	420
		Pop>1 Lac + DHQ	-	-	400	335
		Pop <1 Lac	-	-	250	210
C10	Urban Fair/ City Branding	NN/ Pop>1 Lac + DHQ/ Pop <1 Lac	As per site conditions			
C11	Destitute Homes	As per Actual Site Condition				
C12	Library / Digital Library	NN	15,000	books	Improvement of existing / new build	
		Pop>1 Lac + DHQ	10,000	books	1000	1700
		Pop<1 Lac	5,000	books	500	840
C13	She Lounge in Tourist Places/Public Buildings	NN	150	persons	910	1000
C14	Utsav Auditorium	Pop>1 Lac + DHQ	600	seating	1500	2500
C15	Animal Crematorium	Pop>1 Lac + DHQ	As per site conditions			
C16	Kayakalp/Smart Class	NN/ Pop>1 Lac + DHQ/ Pop <1 Lac	50	seating	100	---
C17	Anganbadi Centres	NN/ Pop>1 Lac + DHQ/ Pop <1 Lac	100	seating	200	300

#	Project Description	ULB Type	Pax/ Capacity	unit	BUA (SqM)	Site Area (SqM)
D	**Health**					
D1		NN	9	Court	3000	5000

	Multipurpose Sport Facilities	Pop>1 Lac + DHQ	6	Court	2000	3400
		Pop<1 Lac	4	Court	1500	2500
D2	Open Gym	NN	15	Equip.	124000	-
D3	Urban Plaza	NN	-	-	1000	10000
D4	Rehabilitation/Diagnostic/ wellness center/Yog Shala	As per Actual Site Condition				
D5	Creche	NN	20	Kids	80	270

#	Project Description	ULB TYpe	Pax/ Capacity	unit	BUA (SqM)	Site Area (SqM)
E	**Environment**					
E1	City Forest	NN	lump sum budgetary provision			
		Pop>1 Lac + DHQ				
E2	Smriti / Theme Park/Children/Amusement/ Waste to Wonder Park	NN	-	-	800	40000
		Pop>1 Lac + DHQ	-	-	500	10000
E3	Urban Wet Land	NN	lump sum budgetary provision			
		Pop>1 Lac + DHQ				
		Pop<1 Lac				
E4	Solar Park	NN	As per UPNEDA Guidelines			
		Pop>1 Lac + DHQ				
		Pop<1 Lac				
E5	Arboriculture / Nursery / Horticulture	NN	-	-	200	10000
		Pop>1 Lac + DHQ	-	-	160	8000

E6	Herbal Garden	NN	250 pax at a time	Visitors	---	5000 Sqm / part of an existing Garden

#	Project Description	ULB TYpe	Pax/ Capacity	unit	BUA (SqM)	Site Area (SqM)
F	**Heritage / Infrastructure**					
F1	Heritage street & building conservation	NN	As per actual site condition			
		Pop>1 Lac + DHQ				
F2	Place Making/Urban Art Decor/ Street Furniture	NN	As per actual site condition			
		Pop>1 Lac + DHQ				
F3	Foot Over Bridge	NN	1	25 M for 4 Lane	25000000	
		Pop>1 Lac + DHQ			25000000	
F4	Ghat Conservation	NN	As per Actual Site Condition			
		Pop>1 Lac + DHQ				
		Pop<1 Lac				
F5	C.C. Roads with Drain	NN	○ Maximum of 10% of the sanctioned amount per ULB under the scheme. OR			
		Pop>1 Lac + DHQ				

		Pop<1 Lac	○ 10% of Proportionate increase in Revenue collection from last financial year. ○ Least amount of the above shall be sanctioned.
F6	Heritage Street in Old Areas/Heritage Towns	NN/ Pop>1 Lac + DHQ/ Pop <1 Lac	As per site conditions
F7	Conservation of Heritage Buildings – Specific/Notified Monuments, which are within the Municipal limits	NN/ Pop>1 Lac + DHQ/ Pop <1 Lac	As per site conditions
F8	Façade Lighting on Government Heritage Buildings	NN/ Pop>1 Lac + DHQ/ Pop <1 Lac	As per site conditions

12. संलग्नक-2

परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) के लिए चेकलिस्ट

S. No	Tick	Description
Part A	Project Profile	
1		Project Vision and Goals
2		Self-Assessment & Feasibility of Project Report
Part B	Area of Proposal	
1		Project Location Summary
2		Approach and Methodology
3		Essential Features & Achievement Plan
5		Necessity of the Project by ULB
6		Innovation
7		Benefits Delivered
8		Project Information to be displayed at site (Scheme Name, Project Name, Executing agency, Project Cost, time line for completion, Officer In-charge contact)
Part C	Implementation Plan	
1		Implementation Plan
2		Funds availability with city
3		Fund Requirement from state
4		Percentage of Convergence
5		% of Departmental Funds
6		% of CSR Funds
7		% of Private Funds
8		% of any other Funds (mention)
9		PPP
10		Stake Holder Identification and Role
11		Code and Guidelines compliance
12		Duplicity of project with any other scheme
Part D	Financial Plans	
1		Scheduled Itemized Cost
2		All Cost (Analysis Rate, Market Cost, Quotation Rate etc.)
3		Revenue & Pay Back
4		Recovery of O&M
5		Financial Timeline along with Fall Back Plan

Note:

- Optional details can be submitted *
- Above check list shall be made part of the noting while proposing for final approval of project

13. संलग्नक-3

परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा भरी जाने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) के लिए चेकलिस्ट

[Project Name – ULB Name]

1. Basic Details		
a) Project Name		
b) Submitted by	ULB Name	PMC / Consultant:
c) Date of Receipt		
d) Land Details & ownership document		
2. Brief Project Details		
a) Short narrative of the proposal and the project		
b) Is it covered in the original Action Plan?		
c) Total Cost of the project as per KaryaYojna& the revised cost		
d) Other critical aspects of project for Introduction		
e) Other Critical aspects of project		
f) Gender Centric Approach of the project.		
3. Strategic, Business Plan & economic evaluation		
a) Any alternative Plan considered		
b) Methodology followed/ Rationale for the selection of Business Model (PPP/PPP) EPC/CAPEX)		
4. Technical Details		
a) Design fulfilling all Statuary requirements and regulations currently in force and foreseen		
b) Technologies considered as a solution (e.g. iOT/AI/ML/ MLCP/COTS/ open source etc.)		
c) Success story of the technologies (case study)		
d) Survey Report		
e) Utilities Infrastructures details.		
f) Sustainability aspect of the project.		
5. **Timelines**		
a) Implementation Period		
b) O&M period		
6. **Financial Aspects**		
a) Project cost & means of Finance (financial closure)		
b) O & M for 5 years		
c) Financial Model IRR /NPV calculations / Financial sustainability		
d) Phasing of expenditure		
e) Cost benefit analysis		
f) Overall Comments on Cost estimates		
7. **Project Risks**		

a) Identification of potential issues, bottlenecks and/or major risks involved in the project has been technically, economically covered or not	
b) Success /Case studies of similar projects in other Smart Cities	
8. **Envisaged outcomes of the project/ Best practices / Innovative technologies / Cutting Edge solutions used**	
9. **Degree of Detailing Hygiene Factors**	
10. Overall Comments Recommendations	
11. Implementing Agency Name:	
12. FUR	
13. Setback as per Norms	
14. Trees (if any) ASI Site (if any) Overhead Transmission Line (if any) Any other details	

Note:

- Above check list shall be made part of the noting while proposing for final approval of project

14. संलग्नक-4

शहरी अवसंरचना योजना का प्रारूप

Format for development of City Infrastructure Plan

1	City Name	
2	Population As per last Census 2011	
3	Current population of ULB	

#	PROJECT NAME	EXISTING			CONDITION (in case of Constructed Building)			User Charge (Y/N)	OWNERSHIP		Location		Self-Priority Given by ULB
		Year of Construction for Constructed Building	Under Construction (Y/N)	Under Sanction (Y/N)	GOOD (Y/N)	Need Renovation (Y/N)	Need Redevelopment (Y/N)		Nagar Nigam (Y/N)	Other Department (specify)	No. of similar projects in city	Ward Name (Ward No.)	**(on a scale of 1 to 5, 5 being the highest)**
1.	Office Building												
2.	Library / Digital Library & Study Centre												
3.	Mechanized and other types of smart parking												
4.	Senior Care Centre												
5.	Working Women Hostel	▪											
6.	Retirement home	▪											
7.	Marriage Hall	▪											
8.	Food Street Hub/ Night/ Weekly Market	▪											
9.	Pet clinic / park/ Shelter	▪											

10.	Open Gym												
11.	Multifunctional Spaces (Community Centre/ Amphitheatre)												
12.	Kiosk	▪											
13.	Arboriculture / Nursery / Horticulture												
14.	Smriti / Theme park/ children park/ amusementpark/ Waste to Wonder Park	▪											
15.	City Forest												
16.	Co- Working space												
17.	Town Hall												
18.	Café/Book Café	▪											
19.	Auditorium/ Art Gallery & Spaces/ Centre for performing Art/ Amphitheatre	▪											
20.	Multipurpose Sport Facilities	▪											
21.	Urban Experience Centre (Museum/ Exhibition Space/ Commercial)												
22.	Fair/ City branding	▪											
23.	Ghat Conservation / Rejuvenation	▪											
24.	Creche												
25.	Urban Plaza												

26.	Heritage street & building conservation.												
27.	Place making/ Urban Art Décor/Street Furniture	▪											
28.	Foot Over Bridge	▪											
29.	Rehabilitation/ Diagnostic / Wellness Centre/ Yog Shala	▪											
30.	Urban Wet Land	▪											
31.	Solar Park												
32.	Destitute Home												
33.	Smart Class												
34.	Anganbadi Kendra												
35.	Smart Record Room												
36.	Installation of CCTV Cameras and Establishment of Control Room												
37.	CFC/Mini CFC												
38.	Vaishvik Nagar Bazar												
39.	She Lounge												
40.	Utsav Auditorium (in Smart Nagar Palika and Nagar Nigam)												
41.	Animal Crematorium (in Smart Nagarpalika)												

42.	Herbal Garden (in Nagar Nigam)												
43.	CC Road with Drains												
44.	Heritage Street in old Areas/Heritage Towns												
45.	Conservation of Heritage Buildings-Specified/Notified Monuments												
46.	Façade Lighting on Government Heritage Buildings												
47.	Any other specific project as per requirement of ULB												

15. संलग्नक -5

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) की चेकलिस्ट (नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा भरी जाएगी)

Sr. No.	विवरण	हॉ/नहीं
1	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले अध्याय	
1.1	परियोजना और इसके प्रस्ताव का कार्यकारी संक्षेपण	
1.2	परिचय	
1.3	परियोजना के बारे में	
1.4	परियोजना की परिभाषा, संकल्पना, उद्देश्य और कार्य का विस्तार।	
1.5	पूर्ण होने के बाद अनुमानित लाभ को प्रदर्शित करती हुयी परियोजना की व्यवहार्यता अध्ययन	
1.6	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में उल्लिखित जी0पी0एस0 सहायता से परियोजना स्थल की अवस्थिति	
1.7	परियोजना की आवश्यकता और मॉग का विश्लेषण (विद्‌युत, जल, जलनिकास और अन्य सेवाएं)	
1.8	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में संलग्न चित्रों सहित विद्‌यमान स्थल की दशा	
1.9	अभियान्त्रिकी सर्वेक्षण और अन्वेषण	
1.10	वास्तुशिल्प की डिजाईन	
1.11	अवसंरचना की डिजाईन	
1.12	यदि पृथक केस स्टडी लगाई गई हो, तो इसी प्रकार की केस स्टडी*	
1.13	मदवार दर के आधार पर वित्तीय अनुमान और लागत अनुमान	
1.14	वित्तपोषण के अनुमानित संसाधन	
1.15	राजस्व आगम के सम्भाव्य स्रोत	
1.16	पर्यावरण और सततता पक्ष	
1.17	जोखिम निर्धारण और शमन के उपाय	
1.18	कार्यान्वयन समय-सारिणी	
1.19	सांविधिक अनापत्ति	
1.20	गुणवत्ता प्रबन्धन योजना *	
1.21	संलग्नक	
2	निम्नलिखित आलेखन संलग्न होंगे।	
2.1	प्रस्तावित स्थल योजना	

Sr. No.	विवरण	हॉ/नहीं
2.2	प्रस्तावित तल योजना	
2.3	प्रस्तावित भाग दो भाग में	
2.4	Proposed Elevation of at least 2 sides	
2.5	Proposed 3D view of proposed built form	
2.6	ढांचा निर्माण और कालम मानचित्र योजना	
2.7	सेवाऔं के लिए मानचित्र योजना	
3	लगाये जाने वाले संलग्नक/दस्तावेज	
3.1	प्रस्तावित पूर्णता की समय-सारिणी	
3.2	प्रस्तावित स्वच्छता अनुसूची जिसे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ लगाया जाए।	
3.3	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर अधिशासी अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता और नगर आयुक्त के हस्ताक्षर होने चाहिए।	
3.4	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए परियोजना लागत को सम्मिलित करते हुए नगर आयुक्त द्वारा पत्र।	
3.5	परियोजना प्राक्कलन मदवार दर के आधार पर होना चाहिए	
3.6	भूमि स्वामि परिपुष्ट हो और उसके समर्थन का दस्तावेज संलग्नक में लगाया जाए।	
4	प्रस्ताव में विस्तृत विवरण होना चाहिए।	
4.1	किसी गैर अनुसूचित मद के मामले में तीन कोटेशन लगाए जाएं	
4.2	ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम(GRIHA, LEED etc) पर विचार करें	
4.3	सतत उपायों को प्रमुखता से बतायें (सौर पैनल, भूजल वर्षा प्रवाह)	

टिप्पणी:

- वैकल्पिक विवरण संलग्न किये जा सकते हैं। *
- परियोजना के अन्तिम अनुमोदन के लिए प्रस्तावित करते समय उपर्युक्त चेकलिस्ट को टिप्पणी आलेखन में शामिल किया जायेगा।

16. संलग्नक -6

16.1.1 प्रचलित पीपीपी मॉडल

सार्वजनिक निजी सहभागिता या "पीपीपी" निवेश, और/या प्रबंधन के माध्यम से सार्वजनिक आस्तियॉं (Assets) और/या सार्वजनिक सेवाओं के प्राविधान के लिए एक तरफ सार्वजनिक इकाई और दूसरी तरफ एक निजी इकाई के मध्य नियत अवधि की संविदात्मक व्यवस्था का एक रूप है, निजी इकाई द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए उपयोगकर्ताओं द्वारा निर्दिष्ट समयावधि के लिए भुगतान की अपेक्षा हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, जहां निजी इकाई और सार्वजनिक इकाई के मध्य जोखिम का स्पष्ट रूप से परिभाषित आवंटन होता है और निजी इकाई का कृत्य निर्दिष्ट और पूर्व-निर्धारित कृत्य मानकों के अनुसार अनुबन्धित रूप से बाध्य होता है।

विगत कुछ वर्षों में पीपीपी संरचनाओं केएक विस्तृत स्पेक्ट्रम का आविर्भाव हुआ है। यद्यपि वे अत्यन्त व्यापक हैं तथापि निम्नलिखित विशिष्ट मॉडलों का एक संस्करण हैं। इन विशिष्ट पीपीपी मॉडल को विभाग या निजी क्षेत्र द्वारा ग्रहण किए जा रहे संबंधित प्रमुख जोखिमों के संबंध में उनकी सापेक्ष विशेषताओं के आधार पर संरचित किया गया है। ये व्यापक पीपीपी मॉडल इस प्रकार हैं:-

1.सीमित निजी सहभागिता-

परंपरागत रूप से, सरकारें अपनी अवसंरचना प्रणालियों को विकसित करने के लिए सार्वजनिक खरीद पर निर्भर रही हैं। नाम निर्दिष्ट सरकारी अभिकरणों को कतिपय प्रकार के अवसंरचना विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। ये अभिकरण आम तौर पर आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए योजनाएं बनाते हैं और फिर व्यक्तिगत परियोजनाओं के वित्तपोषण, अभिकल्प और निर्माण का प्रबन्ध करते हैं। एक बार जब कोई परियोजना पूर्ण हो जाती है, उसका संचालन एवं अनुरक्षण अभिकरण द्वारा किया जाता है।

2. सार्वजनिक कृत्यों को निजी क्षेत्र को आउटसोर्स करने के लिए निम्नलिखित तीन माध्यम वर्णित हैं। ये माध्यम, अवसंचना के सुधार के अनुरक्षण, संचालन और प्रबंधन में निजी क्षेत्र को अलग-अलग स्तर पर सम्मिलित करने के अवसर प्रदान करते हैं। इसे निम्नलिखित प्रकार की संरचनाओं में किया जा सकता है: -

(क) सेवा अनुबन्ध -

नगरीय स्थानीय निकाय विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ सेवा अनुबन्ध कर सकता है। सेवा अनुबन्ध परिचालन आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त होते हैं और प्राय: खरीद, संचालन और अनुरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इन कार्यों में शुल्क संग्रहण, या वाहनों या अन्य तकनीकी प्रणालियों का उपबन्ध और अनुरक्षण जैसे क्षेत्र सम्मिलित हो सकते हैं।

सेवा अनुबन्ध सामान्यतया प्रतिस्पर्धी आधार पर प्रदान की जाती है और कुछ माह से लेकर कुछ वर्षों तक की अल्प अवधि के लिए बढ़ाई जाती है। वे सार्वजनिक अभिकरणों को निजी क्षेत्र की विशेष तकनीकी विशेषज्ञता से लाभ उठाने, कर्मचारीवृन्द (Staffing) के मुद्दों का प्रबंधन करने और संभावित लागत बचत प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। तथापि, सेवा अनुबन्ध के साथ, प्रबंधन और निवेश उत्तरदायित्व पूरी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र का ही रहता है। हालांकि सेवा अनुबन्ध कतिपय लाभ प्रदान करती हैं, लेकिन वे खराब ढंग से संचालित संगठन को प्रभावित करने वाले अंतर्निहित प्रबंधन या लागत संबंधी मुद्दों का समाधान नहीं कर सकती हैं।

(ख) संचालन और प्रबन्धन अनुबन्ध-

सार्वजनिक संचालन अभिकरण आस्ति संचालन और प्रबंध का उत्तरदायित्व निजी क्षेत्र को अन्तरित करने के लिए प्रबंध अनुबन्धों का उपयोग करती हैं। इन व्यापक करारों में सेवा और प्रबंध दोनों पक्ष सम्मिलित हैं और प्राय: वर्द्धित दक्षता और तकनीकी परिष्कार को प्रोत्साहित करने में उपयोगी होते हैं। संचालन और प्रबन्धन अनुबन्ध अल्पकालिक होती हैं, लेकिन प्राय: सेवा अनुबन्ध की तुलना में लंबी अवधि के लिए विस्तारित होती हैं। कान्ट्रेक्टर्स् को या तो नियत शुल्क के आधार पर या प्रोत्साहन के आधार पर भुगतान किया जा सकता है, जहां उन्हें विनिर्दिष्ट सेवा स्तर या प्रदर्शन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रीमियम प्राप्त होता है।

संचालन और प्रबन्धन अनुबन्धों का उपयोग अवसंरचना के स्वामी द्वारा प्रदान किए गए किसी विशिष्ट संयंत्र, सुविधा या सेवा के लिए जिम्मेदारियों को अन्तरित करने के लिए किया जा सकता है। उनके पास सुविधाओं की एक श्रृंखला के प्रबन्धन को सम्मिलित करते हुए व्यापक पहुंच का परिधि क्षेत्र हो सकता है। तथापि, निवेश निर्णयों की जिम्मेदारी सार्वजनिक प्राधिकरण की रहती है। जबकि संचालन और प्रबन्धन अनुबन्धों से सेवा की गुणवत्ता में सुधार की अपेक्षा की जानी चाहिए, लेकिन उनसे सेवा आच्छादन (कवरेज) में सुधार या टैरिफ सुधार को प्रोत्साहित करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

(ग) पट्टाकरण-

पट्टे निजी फर्मों को अग्रिम भुगतान या नियत पट्टा भुगतान या राजस्व हिस्सेदारी और आस्तियों के संचालन एवं अनुरक्षण के दायित्व के बदले में सार्वजनिक स्वामित्व वाली आस्तियोंद्वारा उत्पन्न आय के स्रोतों को क्रय का एक साधन प्रदान करते हैं। पट्टे के अधीन प्रचालक, आस्तियों से संगृहीत राजस्व को प्रतिधारित करता है और अनुबन्ध प्राधिकारी को पट्टा शुल्क का भुगतान करता है। पट्टा संव्यवहार संचालन और प्रबन्धन अनुबन्धों से भिन्न होते हैं, क्योंकि वे वाणिज्यिक जोखिम को निजी क्षेत्र के भागीदारों को अंतरित करते हैं, क्योंकि पट्टेदार की लाभ प्राप्त करने की क्षमता अभिहित सेवा स्तरों को पूरा करते हुए, परिचालन लागत को कम करने की इसकी क्षमता से जुड़ी होती है। पट्टे, संचालन और प्रबन्धन अनुबन्धों के समान हैं, जिसमें पूंजी सुधार और नेटवर्क विस्तार का उत्तरदायित्व सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामी की रहती है। यद्यपि कतिपय मामलों में पट्टाकर्ता विनिर्दिष्ट प्रकार की मरम्मत और पुनर्वास के लिए उत्तरदायी हो सकता है। पट्टा करारों को पाँच से पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाए जाने की अपेक्षा की जा सकती है। वे ब्राउनफ़ील्ड अवसंरचना प्रणाली के लिए उपयुक्त हैं जो स्वतंत्र राजस्व स्रोत उत्पन्न करते हैं।

16.1.2 पीपीपी प्रणाली के प्रकार

सम्बन्धित गतिविधि, जोखिम और रियायती अवधि के साथ कुछ प्रचलित पीपीपी मॉडल को नीचे दी गई तालिका में संक्षेपित किया गया है:

प्रकार	उप-प्रकार	मुख्य गतिविधि	स्वामित्व जोखिम	डिजाइन/ निर्माण जोखिम	वित्त जोखिम	संचालन जोखिम	सांकेतिक रियायत अवधि (वर्ष)
सीमित निजी सहभागिता	*सेवा अनुबन्ध*	*सौंपे गये विशिष्ट कार्य निष्पादित करना*	*सार्वजनिक*	*सार्वजनिक*	*सार्वजनिक*	*निजी*	*कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्षों तक*
	प्रचालन और	*प्रचालन और अनुरक्षण*	*सार्वजनिक*	*सार्वजनिक*	*सार्वजनिक*	*निजी*	*3 से 5*

प्रकार	उप-प्रकार	मुख्य गतिविधि	स्वामित्व जोखिम	डिजाइन/ निर्माण जोखिम	वित्त जोखिम	संचालन जोखिम	सांकेतिक रियायत अवधि (वर्ष)
	अनुरक्षण संविदा						
	पट्टा	*प्रचालन और अनुरक्षण*	*सार्वजनिक*	*सार्वजनिक*	*साझा*	*निजी*	*5 से 15*
एकीकृत परियोजना विकास और प्रचालन के अवसर	*बीओटी-वार्षिकी (Annuity)*	*बिल्ट-ऑपरेट-ट्रान्सफर*	*सार्वजनिक*	*निजी*	*सार्वजनिक*	*निजी*	*15 से 20*
साझेदारी परियोजना विकास और निवेश के अवसर	*ओएमडीए*	*प्रचालन और अनुरक्षण + डेवलपमेंट/ एक्सपेंशन*	*सार्वजनिक*	*साझा*	*साझा*	*निजी*	*30 से 50*
	डीबीएफ ओटी	*डिजाइन-बिल्ड-फाईनेन्स-ऑपरेट-ट्रान्सफर*	*सार्वजनिक*	*निजी*	*निजी*	*निजी*	*30 से 45*

1.निर्माण-प्रचालन-अन्तरण (बी.ओ.टी.) :

''निर्माण-प्रचालन-अन्तरण'' (बी.ओ.टी.) एक प्रकार का परियोजना वित्तपोषण और वितरण मॉडल है जिसका उपयोग सामान्यत: अवसंरचना के विकास में किया जाता है। बी.ओ.टी. व्यवस्था में एक निजी संस्था या सहकार (Consortium) एक विशिष्ट अवधि के लिए किसी सुविधा या अवसंरचना परियोजना के डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण, संचालन और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। परियोजना का स्वामित्व आम तौर पर सहमत-रियायती अवधि के अंत में सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को वापस अन्तरित कर दिया जाता है।

2.अभिकल्प-निर्माण-वित्तपोषण-प्रचालन-अन्तरण (डी.बी.एफ.ओ.टी.) :

"अभिकल्प-निर्माण-वित्तपोषण-प्रचालन-अन्तरण"(डी.बी.एफ.ओ.टी.) एक परियोजना वितरण और वित्तपोषण मॉडल है जिसका उपयोग अवसंरचना के विकास में किया जाता है। 'निर्माण-प्रचालन-अन्तरण(बी.ओ.टी.) मॉडल के समान, डी.बी.एफ.ओ.टी. में किसी परियोजना के पूरे जीवन चक्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता सम्मिलित होती है। अवसंरचना परियोजना के डिजाइन के लिए निजी संस्था या सहकार (Consortium) उत्तरदायी होता है। इस मॉडल में सुविधा के निर्माण और संचालन के लिए विस्तृत योजनाओं की संकल्पना और रचना सम्मिलित है।

3. अभिकल्प-निर्माण-अन्तरण (डी.बी.टी.) :

डी.बी.टी. एक परियोजना वितरण पद्धति है, जहां एक ही ठेकेदार परियोजना के सम्पूर्ण जीवन चक्र के लिए उत्तरदायी होता है, जिसमें अभिकल्प, निर्माण, प्रचालन और ग्राहक को अंतरण सम्मिलित होता है। डी.बी.टी. का उपयोग प्राय: बड़े पैमाने की परियोजनाओं में किया जाता है, जहां ठेकेदार दक्षता और लागत-प्रभावशीलता ला सकता है।